

विषय सूची

क्र०सं०	विवरण	पृष्ठ सं०
1	2	3
1	ऑनलाइन भाग -1	
2	ऑनलाइन भाग -2	
3	भाग-1 हिंदी वर्जन	
4	भाग-2 हिन्दी वर्जन	
5	भाग-3 हिन्दी वर्जन	
6	भाग-4	
7	भाग-5	
8	Project Site Location Justification Note	
9	Area Calculation	
10	Power of Attorney	
11	LOI Letter	
12	खतौनी	
13	अनापत्ति प्रमाण पत्र (लोक निर्माण विभाग ,अग्निशमन , प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)	
14	वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र	
15	प्रभावित क्षेत्र सरंक्षित वन भूमि घोषित होने के अधिसूचना	
16	Site Inspection Report	
17	प्रभावित वृक्षों की सूची	
18	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	
19	संस्तुति प्रमाण पत्र	
20	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र	
21	एन० पी० वी० (शुद्ध वर्तमान मूल्य) की धनराशि का आगणन	
22	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का Geo Reference Map	
23	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का टोपोशीट 1:50000	
24	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि का आगणन	
25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 18-03-2010 में उल्लिखित बिंदुओं से सम्बंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र	
26	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-द्वितीय/यू०पी०/1149/आर० ओ० सी०/2012/एफ० सी०,दिनांक 13-01-2012 में उल्लिखित बिंदु सं० 02 व 03 से सम्बंधित सूचना	
27	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक एफ० एन०-11-268/2014 एफ० सी०,दिनांक 11.07.2014 की बिन्दुवार आख्या	
28	प्रमुख वन सरंक्षक, उ० प्र० लखनऊ के पत्रांक-1017/23 कोर्ट केस दिनांक-11-11-2011 के क्रम में वांछित सूचना/प्रमाण पत्र	
29	एन० पी० वी० के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र	

Signature

30	एन० पी० वी० में संसोधन होने पर अवशेष के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र	
31	प्रतिपूरक वनीकरण करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र	
32	मानक शर्तें	
33	प्रमाण पत्र	
34	दण्डात्मक वृक्षारोपण हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र	
35	कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र	
36	वैकल्पिक भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र	
37	वन्य जीव विहार/सेन्चुरी न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र	
38	वन्यजीवों और पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र	
39	मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र	
40	योजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों ,परिवार एवं जनसंख्या का विवरण	
41	टास्क फ़ोर्स की संस्तुति के अनुपालन का प्रमाण पत्र	
42	वन भूमि की गणना अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र	
43	भूमि स्वामित्व अभिलेख	
44	एग्रोच रोड, सेप्रेटर आइस लैंड तथा अन्य खाली स्थान पर वृक्षारोपण किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र	
45	प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के आवागमन के किनारे खाली स्थानों पर वृक्षारोपण सम्बंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र	
46	भूमि का विवरण	
47	प्रभावित क्षेत्र का Geo Reference Map	
48	प्रभावित क्षेत्र का टोपोशीट 1:50000	
49	रिटेल आउटलेट का ले-आउट प्लान	
50	टाइम लाइन	
51	सी० डी०	

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड



द्वारा

कानपुर देहात जनपद के अंतर्गत

प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन (मार्ग पटरी) पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु प्रस्ताव ।

वर्ष 2022-23

सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर देहात

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act, 1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details**A-1. Project Details**

(i). Proposal No. : FP/UP/Approach/46748/2020

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : Protected Forest Land proposed for diversion for Entry/Exit approach to Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet on Rura Jhinhak Marg (ODR) at Km.1 (445-481 LHS) at Gata No. 179, Village: Gutaiya ,Tehsil-Akbarpur ,District: Kanpur Dehat (Uttar Pradesh)

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Protected Forest Land proposed for diversion for Entry/Exit approach to Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet on Rura Jhinhak Marg (ODR) at Km.1 (445-481 LHS) at Gata No. 179, Village: Gutaiya ,Tehsil-Akbarpur ,District: Kanpur Dehat (Uttar Pradesh)

(iv). State : Uttar Pradesh

(v). Category of the Proposal : Approach Access

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Non Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 45

(viii). Area of forest land proposed for diversion(in ha.): 0.2468

(ix). Non-forest land required for this project(in ha.): 0.1296

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(In years): 30

A-2. Details of User Agency

(i). Name : INDIAN OIL

(ii). Address1 : Kalpi Road, Panki Kanpur

(iii). Address2 : NIL

(iv). State : Uttar Pradesh

(v). District : Kanpur Nagar

(vi). Pin : 208020

(vii). Landmark : NIL

(viii). Email address : shivjisinh@indianoil.in


आशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashulosh Kumar Srivastava
मुख्य प्रबंधक (सुपरी निजी) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कानपुर मंडल कार्यालय, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

(ix). Landline Telephone No. : 0-

(x). Fax No. : 0-

(xi). Mobile No. : 9415115509

(xii). Website (if any) : NIL

(xiii). Legal status of User Agency : Central PSU

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: Hemant

(ii). Middle Name: NIL

(iii). Last Name: Kumar

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Senior Manager

(vi). Address 1: Kalpi Road, Panki , Kanpur

(vii). Address 2: NIL

(viii). State: Uttar Pradesh

(ix). District: Kanpur Nagar

(x). Tehsil: NIL

(xi). Pin: 208020

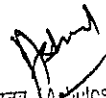
(xii). Landmark: NIL

(xiii). Email Address: ioel.knp@gmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 0-

(xv). Fax No.: NIL

(xvi). Mobile No.: 9415115509

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: 

आशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava
Ch. Manager (RS)
इंडियन ओयल लिमिटेड, कानपुर-208 020
कानपुर नगर, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

B. Details of land required for the Project

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

Proposal Submitted In Past

S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
1	Approved	FP/UP/Approach/46742/2020	8B/UP/06/98/2020/FC	0.20898	0.20898	08 Sep 2020	19 Oct 2020
2	Approved	FP/UP/Approach/46744/2020	8B/UP/06/107/2020/FC	0.241563	0.241563	24 Sep 2020	01 Dec 2020
3	Inprinciple	FP/UP/Approach/52146/2020	8B/UP/06/173/2020	0.2057	0.2057	15 Dec 2020	
4	Under Processing at State Government	FP/UP/Approach/152186/2022		0.1632	0		
5	Under Processing at State Government	FP/UP/Approach/143456/2021		0.2078	0		
Total				1.027243	0.656243		

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions Involved

Details of Divisions Involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Forest Division Kanpur Dehat	0.2468	0.1296
Total		0.2468	0.1296

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Kanpur Dehat	0.2468	0.1296
Total		0.2468	0.1296

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Gutaiya	0.2468	0.1296
Total		0.2468	0.1296

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Entry Exit and Middle Land	0.2468	0.1296
Total		0.2468	0.1296

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Forest Division Kanpur Dehat	
(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 0.2468	
(ii). Nature of the Project: Non Linear	

अशुतोष कुमार शर्मा / Ashutosh Kumar Sarma
 मुख्य प्रबंधक (पर्यावरण विभाग) / Ch. Manager (Env.)
 इस्लाम नगर, पंकी, कानपुर-208 020 / Indian Oil Corporation Ltd.
 कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत / Kanpur, Uttar Pradesh, India
 कानपुर विभागीय कार्यालय पंकी, कानपुर-208 020
 Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

(a). No. of patches : One

Patch wise details		
Patch No.	Area of Patch(In ha.)	Kml File of PatchesTo view KML file on google the same may be downloaded and then open if in google earth install in your computer.
1.	0.2468	 View File

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: (iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: **D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:**(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: **E. Employment likely to be generated**

(i). Whether the Project is likely to generate employment?: Yes

(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 5

(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 500

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act, 1986?: No

I. Status of Wildlife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone?: No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area?: No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed?: Yes

Ashutosh Kumar
 आशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava
 मुख्य प्रबंधक (सूक्ष्म विक्रय) / Ch. Manager (Micro Sales)
 भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
 कानपुर मण्डल कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
 Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

(a). Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted: 

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Not Applicable

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted?: Not Applicable

(iii) . Reason for not providing Non-Forest Land: Not Applicable

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		Fire Noc
2		Khatauni
3		LayOut Plan
4		Lease Agreement
5		LOI Letter
6		Pollution Noc
7		प्रतिभूक वनीकरण करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र
8		प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र
9		प्रमाण पत्र
10		प्रस्तावित वन भूमि के एनपीवी के संशोधन के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता प्रमाण पत्र
11		मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र
12		Forest Gudget
13		Undertaking for PWD NOC
14		मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र
15		दण्डात्मक वृक्षारोपण हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र
16		कार्यप्रारम्भनकालीन प्रमाणपत्र
17		कम से कम वृक्षों का पालन किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र
18		ETT UNDERTAKING
19		Area Calculation

Print

(देखिये नियम 6)

फार्म 'क'

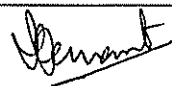
सरकारों तथा प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों कि धारा २ के अंतर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग -1

(प्रयोक्ता 'एजेंसी' द्वारा भरे जाने के लिए)

1- परियोजना विवरण-

(i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/ स्कीम का संक्षिप्त विवरण:-	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायीं पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला-कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रभावित सरंक्षित वन भूमि 0.2468 हे० पर गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति
(ii) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र	सलंगन है
(iii) परियोजना की लागत	रु०- 45.00 लाख अनुमानित
(iv) वन क्षेत्र कि परियोजना स्थापित करने का औचित्य	आवागमन हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण
(v) लागत लाभ विश्लेषण (सलंगन किये जाने के लिए)	लागू नहीं
(vi) रोजगार जिनकी पैदा होने कि संभावना है	नियमित रूप से 5 और 500 अस्थायी श्रम दिवस
(2) कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	0.2468 हे०
(3) परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है ।	
(i) परिवारों कि संख्या	नहीं
(ii) अनुसूचित जाति तथा जन जाति परिवारों कि संख्या	नहीं
(iii) पुनर्वास योजना (सलंगन किये जाने के लिए)	नहीं
(4) क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	नहीं
(5) प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उनके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण लागत के साथ राज्य सरकार द्वारा की गयी योजना के	सलंगन है



हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (सुरक्षा विभाग) / Ch. Manager (Sec)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर
K. P. O. Divisional Office Panli, Kanpur

अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः नवीनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	
(6) निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेज का ब्यौरा	संलग्न है

दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता



इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०

हिमंता पट्टनायक / Himanti Pattnaik
मुख्य प्रबंधक (रिदेल्) / Manager (Rideel)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पन्डौ, कानपुर-208 002
Kanpur Divisional Office Pandi, Kanpur-208 002

भाग - III

(सम्बंधित वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए)

14	स्थल, जहाँ की भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ / नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे ।	
15	क्या सम्बंधित वन संरक्षक भाग - ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है ।	
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	

दिनांक :---

स्थान

हस्ताक्षर



नाम-

सरकारी मोहर

भाग - IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें । (राय देते समय सम्बंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)	
----	--	--

दिनांक :---

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

सरकारी मोहर

भाग - V

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो
अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरे जाने के लिए)

18	राज्य सरकार की सिफारिशे (उपर्युक्त भाग -ख या भाग -ग या भाग -घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	
----	---	--

दिनांक :---

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

सरकारी मोहर



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.

Certificate Date

Account Reference

Unique Document Reference

Purchase Price

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount (Rs.)

IN-UP48823039404404T

: 31-Aug-2021 02:31 PM

: NEWIMPACC (SV)/ up14396304/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN

: SUBIN-UPUP1439630486432974296092T

: INDIAN OIL CORPORATION LIMITED

: Article 48 Power of Attorney

: Not Applicable

: INDIAN OIL CORPORATION LIMITED

: Not Applicable

: INDIAN OIL CORPORATION LIMITED

: 100

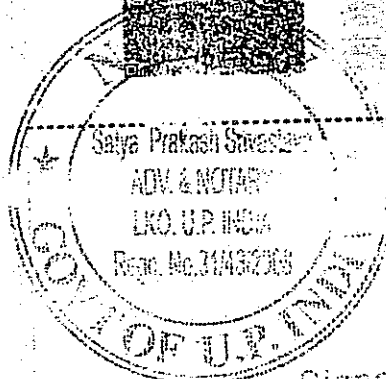
(One Hundred only)

NOTARIAL

NOTARIAL



Please write or type below this line



Signature Attested

Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India

Hemant

Hemant

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
वरिष्ठ प्रबंधक (व्यवसाय विकास) / Sr. Manager (RS)
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पंकी, कानपुर-208 020
Kannpur Divisional Office Panki, Kannpur-208 020

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
वरिष्ठ प्रबंधक (व्यवसाय विकास) / Sr. Manager (RS)
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पंकी, कानपुर-208 020
Kannpur Divisional Office Panki, Kannpur-208 020

प्रति हस्ताक्षरित

Hemant

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन-प्रभाग
कानपुर-देहात

Statutory Warrt:

1. The validity of this Stamp certificate should be verified at 'www.sholestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Shole Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The responsibility for checking the legitimacy is on the users of the certificate.
4. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

सविदलाक्षित

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

POWER OF ATTORNEY

TO ALL TO WHOM these present shall come, I, **Uttiya Bhattacharyya, Executive Director & State Head, Uttar Pradesh State Office-I, Indian Oil Corporation Ltd., Marketing Division, Lucknow-226010** send greetings :-

WHEREAS I, **Uttiya Bhattacharyya, Executive Director & State Head, Uttar Pradesh State Office-I** am the constituted General attorney of the Indian Oil Corporation Ltd. by virtue of the power of attorney executed in my favour on 19.03.2020.

AND WHEREAS by virtue of the said General Power of Attorney, I have been authorized to execute agreements deeds etc. on behalf of the said Corporation and also to represent the said Corporation in all judicial proceedings instituted by or against the said Corporation and also to commence and prosecute all actions, suits, claims etc. for and on behalf of the said Corporation.

AND WHEREAS by the said Power of Attorney, I am competent to sub-delegate any of the powers given to me to any officer(s), representative(s) of the said Corporation.

AND WHEREAS in view of the powers given to me to appoint a substitute or substitutes and of delegating and/or sub- delegating any one or more of the various powers and authorities conferred on me, I, the said **Uttiya Bhattacharyya** and duly Constituted Attorney of the Corporation, appoint **Sh. Hemant Kumar, Senior Manager (Retail Sales), Kanpur DO of Indian Oil Corporation Ltd. (MD)** as my attorney and as the attorney of the said Corporation.

NOW FROM YE AND THESE PRESENTS WITNESS that in pursuance of the power of sub-delegation and substitution given to me by virtue of the hereinbefore recited General Power of Attorney dated 19.03.2020, I, **Uttiya Bhattacharyya, Executive Director & State Head, Uttar Pradesh State Office-I** and duly appointed Constituted Attorney of the Corporation, do hereby nominate, appoint and constitute the said **Sh. Hemant Kumar, Senior Manager (Retail Sales), Kanpur DO, Indian Oil Corporation Ltd., (M.D.)**, as the attorney of the said Corporation with full powers and authorities in my name and/or in the name of and for and on behalf of the Corporation to exercise the following powers and authorities and to do the following acts, deeds, matters and things or any of them i.e. :-

1. To sign and execute lease agreements/ licence deeds/sub-lease agreements for land for retail outlets and SKO sites and sale/distribution of other petroleum products with Govt., Semi-Govt. and private parties on behalf of the Corporation.

Signature Attested

03/09/2021
Saiya Prakash Srivastava, Advocate & Notary
Lucknow-U.P. India
Kanjur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Sr. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर-208 020
कानपुर डिवीजनल ऑफिस पंकी, कानपुर-208 020

2. To present the documents for registration, if required by law, before the competent Registrar or Sub-registrar at the appropriate place or places to get the same duly registered.
3. To sign, verify, declare and execute written statements, counter-claims, petitions, appeals, review applications, affidavits, Vakalatnama and papers of every description that may be necessary to be signed, verified and executed for the purpose of any suit, appeal, review, legal application, criminal and civil proceedings of any kind whatsoever in any court of law or justice whether original, appellate or revisional jurisdiction.
4. To institute, defend, prosecute, and conduct any legal or other proceedings, claim or dispute by or against the Corporation in which the Corporation may be concerned or interested.
5. To apply for and appear before various authorities with regard to change of land use and file and execute all connected documents/deeds/papers in regard to the same.
6. To take appropriate action and do things to comply with the requirements of any local law or any other regulatory statute and compound the offences by paying the fine in the interest of the Corporation.
7. AND generally to make to do all acts, deeds, matters and the things on behalf of the Corporation as may be necessary and incidental to the powers hereinabove mentioned.

AND IT IS FURTHER hereby declared that the fact of the said, **Uttiya Bhattacharyya** at any time and times hereafter himself performing or doing all or any of the acts, matters, deeds or things hereinbefore mentioned shall not be deemed to revoke, cancel or otherwise prejudice any of the powers or authorities conferred by these presents.

AND I, the said **Uttiya Bhattacharyya, Executive Director & State Head, Uttar Pradesh State Office-I**, do hereby agree to allow, ratify and confirm all and whatsoever the said **Sh. Hemant Kumar, Senior Manager (Retail Sales), Kanpur DO, Indian Oil Corporation Ltd., (M.D.)**, shall or may lawfully do or cause to be done in or about the premises by virtue of these presents.

AND I, the said **Uttiya Bhattacharyya, Executive Director & State Head, Uttar Pradesh State Office-I**, of the Corporation hereby lastly declare that unless previously revoked by me or by the Corporation these presents shall remain in force till the date of retirement or transfer or vacation of office by said **Sh. Hemant Kumar, Senior Manager (Retail Sales), Kanpur DO, Indian Oil Corporation Ltd., (M.D.)**, whichever is earlier.

IN WITNESS THEREOF THE EXECUTIVE DIRECTOR UTTAR PRADESH STATE OFFICE-I HAS HEREUNTO SET AND SUBSCRIBED HIS HAND AT LUCKNOW ON THIS 03 DAY OF SEPTEMBER, 2021.

Signature Attested

03/09/21
Sava Prakash Sharma
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India

03/09/21
Hemant Kumar / Sr. Manager (RS)
विपणन प्रभाग (रुग्ण विभाग) / Sr. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पणजी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

03/09/21
Hemant Kumar / Sr. Manager (RS)
विपणन प्रभाग (रुग्ण विभाग) / Sr. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पणजी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

EXECUTED BY THE WITHIN
NAMED EXECUTIVE DIRECTOR & STATE HEAD, UTTAR PRADESH STATE OFFICE-I

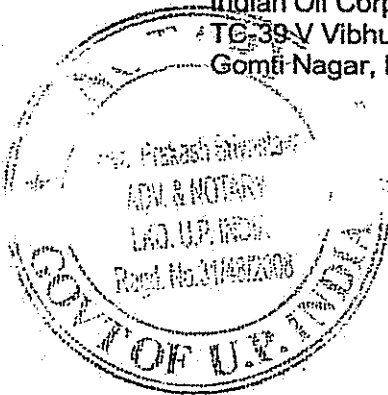
FOR AND ON BEHALF OF THE
INDIAN OIL CORPORATION LTD. IN THE PRESENCE OF :

Chauhan

1. (Santosh Kumar Chauhan)
Manager (Law), UPSO-1
Indian Oil Corporation Ltd.
TC-39 V Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow.

Goswami

2. (Vibhanshu Goswami)
Asst. Manager (Law), UPSO-1
Indian Oil Corporation Ltd.
TC-39 V Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow.



डॉ. उत्तीय भट्टाचार्य / Dr. Uttiya Bhattacharyya
कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख / Executive Director & State Head
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. / Indian Oil Corporation Ltd.
उ.प्र. राज्य कार्यालय-1 / U.P. State Office-1
टीसी-39 वी. विभुति खण्ड / T.C. -39 V, Vibhuti Khand
गोमती नगर, लखनऊ / Gomti Nagar, Lucknow

Kumar

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Sr. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पन्की, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

Kumar

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Sr. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पन्की, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

Signature Area

03/09/02

I identify the development/existence of
who has signed out T.I. before me

प्रति हस्ताक्षर

Pr

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात



न ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पुर मण्डलीय कार्यालय
रोड, पनकी, कानपुर-208020
Indian Oil Corporation Limited
Regional Divisional Office
Road, Panki, Kanpur-208020
0512-2261412, 2261413
0512-2261409



IndianOil
A Maharatna
Company

Ref: MI/2021/IN002394/UP/000323/1407/00052

Page: 1 of 4

Date: 30.03.2022

To,
MAYANK TRIPATHI
S/O SHRAVAN KUMAR TRIPATHI
VILLAGE MULAH STREET SUNDERPUR GAJAN
DIST. KANPUR DEHAT

RENU SHUKLA & BEENA BAJPAI
W/O SUSHEEL SHUKLA, SHER GANG RURA, KANPUR
DEHAT
W/O KAPIL BAJPAI, 36/8A BENGALI
MOHAL, KANPUR NAGAR

Dear Sir/Madam,

Subject: Proposed MS/HSD B Site Kisan Seva Kendra Dealership at Location: VILL GUTAIYA ON RURA JHINJHAK CANAL ROAD, KANPUR DEHAT, District: KANPUR RURAL State: Uttar Pradesh Category: OPEN

We refer to our advertisement dated 25.11.2018 and your application form No. 15452363682510 for the award of MS/HSD Kisan Seva Kendra dealership at the above location and the subsequent Draw of Lots held at HOTEL KANHA CONTINENTAL on 02.07.2019.

Please be informed that by this Letter of Intent, we propose to offer you a Kisan Seva Kendra dealership of Indian Oil Corporation Ltd. at the above location on the following terms & conditions:-

1. You have offered a suitable piece of land admeasuring 1296 Sq. Meter approx.; 36 Meter (frontage) X 36 Meter (depth) at GATA NO.179, Village GUTAIYA ; Taluka:AKBARPUR, District:KANPUR RURAL. Owned by you as indicated by you in the application for the development of the subject Kisan Seva Kendra. You have to make available this land within 2 months from the date of this letter failing which this offer is liable to be withdrawn.
2. For making the land available as required above, you will ensure that the land arranged by you is either registered in your name or it should be leased to you for a minimum period of 19 years & 11 months.
3. As and when advised by the Corporation, the site offered by you would be duly developed up to the road level by cutting/filling (as applicable), with good earth/murum, layer-wise compacted as per standard engineering practices. You shall also construct necessary retaining wall and compound wall of 1.5 meters height, designed as per site conditions as per approval of Corporation as committed under Clause 12 (e) of affidavit submitted by you along with application. Kindly note that in case the site as offered by you for putting up the Kisan Seva Kendra is not developed as per the advice of the Corporation, this Letter Of Intent will be withdrawn without any further notice.
4. You will provide at the retail outlet infrastructural facilities like Permanent Sales Building (Including Public Toilet/Electric Room/Office Room/Store/Lube display, Driveway-KSK, Yard Lighting, Water Connection/Borewell, Compressor with Electronic Air Gauge, Generator/Inverter, Non Fuel Facility at Kisan Seva Kendra as mentioned in the Brochure and after obtaining necessary clearances/approvals/licenses as applicable in each case. Indian Oil Corporation Ltd. will provide storage tanks and pumps and other facilities considered necessary at the Retail Outlets.

5. In addition, you will also provide the following basic facilities at your cost at the Retail Outlet premises:-

- a. Clean drinking water.
- b. Free Air.
- c. Clean toilet.
- d. Telephone.
- e. First aid kit with valid medicines.
- f. Adequate illumination.
- g. PUC facilities, wherever it is required.
- h. Other facilities as may be required by the Corporation from time to time.

प्रति हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी

कानपुर-देहात वन प्रभाग

जो-ए, अली यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई - 400059

Regd. Office : G-9, Ali Yavar Jung Marg, Bandra (East) Mumbai - 400059

कानपुर-देहात वन प्रभाग
प्रमुख अधिकारी / प्रमुख अधिकारी (वृत्त) / प्रमुख अधिकारी (वृत्त)
कानपुर-देहात वन प्रभाग, कानपुर-208020
कानपुर-देहात वन प्रभाग, कानपुर-208020

6. Additional facilities (site specific) like Canopy, Service Station or any other facility as may be decided by IOC from time to time would also be required to be developed by you. Further, in compliance of gazette notification dated 08.11.2019 which mandates provision of at least one alternate fuel facility in all new retail outlets commissioned post the said notification, you will ensure the minimum provision of at least one single point EV charging station conforming to standards and specification as prescribed by Divisional Office of IOC at the proposed site at your cost within the stipulated timelines.
 7. For the facilities that may be provided by the Corporation as aforesaid, we will recover from you license fee as may be decided by the Corporation and applicable to you from time to time.
 - i) At present, up to a combined sales volume (MS+HSD) of less than 600 KL in a financial year, the SSLF recovery shall be Rs NIL / KL for MS and Rs NIL /KL for HSD including applicable taxes.
 - ii) On achieving a combined sales volume (MS+HSD) of 600 KL or more in a financial year, license fee will be recovered from the first month of the next financial year. At present, the license fee recoverable is Rs 233.45/- KL for MS and Rs 194.54/- KL for HSD including applicable taxes.
 - iii) After commencement of SSSLF recovery, even if the sales volume drops below the minimum combined volume (MS+HSD) of 600 KLPA, the recovery shall continue as per (ii) above.
 8. The corporation will not be held liable for any loss or damage on account of delay that may be caused in providing you the facilities mentioned above, whatever may be the cause of the failure or delay.
 9. You will ensure all financial and other arrangements for operating the retail outlet dealership. In case you are unable to arrange funds required for development of desired infrastructure and facilities at the Outlet allotted and the working capital for operation of the outlet as mentioned in the Advertisement for the location, this LOI can be withdrawn and you will have no claim/damages whatsoever against the Oil Company.
 10. You shall not induct any partner(s) in case of individual (s) nor make any changes in the constitution of the partners as existing at the time of application without approval of the company, except your spouse as per terms and conditions of Indian Oil Corporation Ltd., and shall give an undertaking to this effect.
 11. It will always be a basic condition for the award of MS / HSD retail outlet dealership that you shall be paying attention towards day to day working of the dealership by personally managing the affairs of the dealership you will give us a written undertaking to this effect and shall not assign or part with the same to any other person (s).
- You will not be eligible for taking up any employment. If you are already employed you will have to resign from the employment and produce the letter of acceptance of resignation by the employer before the issuance of Letter of Appointment by Indian Oil Corporation Ltd..
12. You will deposit with us a Demand Draft for 360000.00 drawn on any scheduled bank in favour of Indian Oil Corporation Ltd. payable at KANPUR towards Security Deposit (after setting off Initial Security Deposit amount) at the time of issuance of appointment letter after compliance of all the requirements of LOI.
- Kindly note that the Security deposit will not carry any interest and is refundable at the time of expiry of agreement between you and the Corporation. However, if such expiry of agreement is consequent to proven adulteration/malpractice at the dealership, this amount will be forfeited. Moreover, this Corporation reserves its right to adjust this amount towards any dues to it.
13. You will also remit Rs 5.0 Lakhs towards Non-refundable Fixed fee by way of a Demand Draft for Rs Rs 5.0 Lakhs drawn on any scheduled bank in favour of Indian Oil Corporation Ltd. payable at KANPUR Within 15 days of receipt of NOC.
 14. You will be notified by the corporation, in writing, after the facilities mentioned above are made available and are ready for commissioning the dealership. Immediately on receipt of the above notice from the Corporation, you shall obtain each and every license necessary for operating your dealership as may be required under any Central / State Govt. / Municipal or local authorities for the time being in force.
 15. If we find that the progress made by you towards the above is not to our satisfaction, this offer is liable to be withdrawn.
 16. Please note that you are required to fulfill the conditions with regard to inducting Spouse as Co-owner in the dealership before issuance of Letter of Appointment.

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

Scanned by CamScanner
Kannur Divisional Office Panna, Kannur-200 020

17. This letter of intent will stand automatically withdrawn and cancelled on the happening of any of the following events:-

- In case you or any of your family members (as defined under disqualification criteria of dealer selection guidelines) receive anytime or have received a letter of intent for any other "A" site RO dealership or LPG distributorship from our company or any other oil marketing company either in your individual capacity or in partnership with any other individual(s). In case you or any of your family member gets inducted as partner or proprietor in "A" site RO dealership or LPG distributorship of our company or any other oil marketing company.
- If it is found that you have suppressed and / or misrepresented any material facts in your application.
- In case you are found to be convicted for any criminal / economic offence involving moral turpitude.
- In the event of death if you are an individual/partner.

18. In case you are not able to provide the land / develop facilities within the specified time or fail to fulfill the terms & conditions of LOI, then LOI can be withdrawn. In such situations Initial Security Deposit (ISD) would be forfeited.

The LOI would also be withdrawn and selection cancelled, if you are unable to submit the Non-refundable fixed fee within the stipulated time. In such situations Initial Security Deposit (ISD) would be forfeited.

19. You will not sell/lease/mortgage the said land to any third party without the permission of Indian Oil Corporation Ltd. in writing, so long as the Dealership Agreement is valid and Indian Oil Corporation Ltd.'s facilities continue at the site.

20. In case of termination of / resignation from the dealership, within 3 months of disassociation from Indian Oil Corporation Ltd., you will execute a lease or will sub lease the land together with structures thereon to the company if the company so desires, for a period not exceeding 30 years at normal yearly rental (excluding Municipal Taxes) which shall not be more than 10 % of the then prevailing market value of the land and the structures standing thereon.

21. This letter is merely a letter of intent and is not to be construed as a 'firm offer' of dealership to you. The dealership will be allotted to you on your complying with the terms and conditions spelt out herein above by issuance of appointment letter along with signing of our standard dealership agreement between you and us.

22 Note : You have one time option to offer alternate land meeting all specifications in the advertised location/stretch within 90 days of this LOI provided you have not availed such opportunity of providing alternate land after FVC (Field Verification of Credentials).

Should you require any further details / guidelines, please get in touch with our office at the address mentioned below:

Kanpur Division Office
Bulk Terminal, Post Office
Panki, Kanpur, U.P.

Remarks :

Please acknowledge receipt of this letter.

Thanking you,

Yours faithfully

For Indian Oil Corporation Ltd.

Dushyant Singh

Divisional Retail Sales Head

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

कानपुर-देहात वन प्रभाग / Kanpur Divisional Office
कानपुर-देहात वन प्रभाग / Kanpur Divisional Office
कानपुर-देहात वन प्रभाग / Kanpur Divisional Office
कानपुर-देहात वन प्रभाग / Kanpur Divisional Office
कानपुर-देहात वन प्रभाग / Kanpur Divisional Office

Project Site Location Justification Note

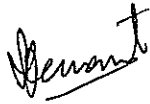
Protected Forest Land proposed for diversion for Entry/Exit approach to Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet on Rura Jhinhak Marg (ODR) at Km.1 (445-481 LHS) at Gata No. 179, Village: Gutaiya ,Tehsil-Akbarpur ,District: Kanpur Dehat (Uttar Pradesh). Protected Forest Land required for approach to Entry/Exit and Middle of Petrol Pump/Retail outlet is 0.2468 Hectare. It is the minimum required area and there is no alternative of this Protected Forest Land.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

C.S.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी

प्रजापती गन्धर्व निधि की शी
कानपुर देहात देहात प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात



Indian Oil Corporation Limited
Kannur Divisional Office Pank, Kannur-208 020

प्रभावित क्षेत्र का वन भूमि घोषित होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायी पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रभावित भूमि संरक्षित वन भूमि है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी



हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (रिटेल) / Chief Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पंकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

C.S.



प्रभारित अधिकारी
कानपुर देहात वन विभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (रिटेल) / Chief Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पंकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

MISCELLANEOUS

October 15, 1954

No. 4041/XIV—Whereas the Governor, Uttar Pradesh, is of the opinion that the making of enquiry and road contemplated under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act no. XVI of 1927), will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of the State Government.

And, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to the aforesaid sub-section and by section (1) of the said section, read with section 80-A of the aforesaid Act, he is pleased to declare that during such enquiry and record, the provisions of Chapter IV of the said Act to be applicable to the lands specified in the Schedule hereto:

Schedule

Name of land to be declared as protected forest under Chapter IV of the Indian Forest Act	District	Canal mileage	Description of boundary
2	3	4	5
		Mile fur. ft.	
Upper Ganga (Main) Canal from mile 0—0 to mile 181—0 falling within the jurisdiction of the following canal divisions:	Saharanpur, Muzaffarnagar, Meerut, Bulandshahr, Aligarh, Etah and Mainpuri.	181 0 0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by stone pillar or boundary ditch.
(1) Northern Division.			
(2) Meerut Division.			
(3) Bulandshahr Division.			
Aunpshahr Branch of the Upper Ganga Canal from mile 0—0 to mile 128—1, falling in the jurisdiction of the following canal divisions:	Meerut and Bulandshahr	128 1 0	Ditto.
(1) Meerut Division.			
(2) Narora Division.			
Kanpur Stamp of the Upper Ganga Canal from mile 181—0 to mile 212—7 falling within the jurisdiction of the following canal divisions:	Aligarh, Etah and Mainpuri	31 7 0	Ditto.
(1) Aligarh Division.			
(2) Mainpuri Division.			
Etawah Stamp of the Upper Ganga Canal from mile 0—0 to mile 38—3 falling within the jurisdiction of the following canal divisions:	Ditto	38 3 0	Ditto.
(1) Aligarh Division.			
(2) Mainpuri Division.			
Mathura Escape from mile 0—0 to mile 3—3 falling within the jurisdiction of Aligarh Canal Division.	Aligarh	3 3 0	Ditto.
Eastern Yamuna Canal from mile 0—0 to mile 129—4 falling within the jurisdiction of the following canal divisions:	Saharanpur, Muzaffarnagar, Meerut and Delhi.	122 6 0	Ditto.
(1) Upper Eastern Yamuna Canal.			
(2) Lower Eastern Yamuna Canal.			
Kanpur Escape of the Eastern Yamuna Canal from mile 0—0 to mile 1—7 in the Lower Eastern Yamuna Canal Division.	Delhi	1 7 0	Ditto.
Silampur Escape of the Eastern Yamuna Canal from mile 0—0 to mile 0—4 in the Lower Eastern Yamuna Canal Division.	Do.	0 4 0	Ditto.
Agra Canal (Main) from mile 0—4 to 100—0 falling within the jurisdiction of the following canal divisions:	Delhi, Gurgaon, Mathura and Agra.	99 4 0	Ditto.
(1) Upper Agra Canal.			
(2) Lower Agra Canal.			
Hindun Cut from mile 0—0 to mile 8—3 in the Upper Agra Canal Division.	Meerut and Delhi	8 3 0	Ditto.
Sikandra Distributary of the Agra Canal from mile 0—0 to mile 14—7 in the Lower Agra Canal Division.	Mathura and Agra	14 7 0	Ditto.
Terminal Distributary of the Agra Canal from mile 0—0 to mile 16—2 in the Lower Agra Canal Division.	Ditto	16 2 0	Ditto.
Lower Ganga (Main) Canal from mile 0—0 to mile 61—6 falling within the jurisdiction of the following canal divisions:	Bulandshahr, Aligarh, Etah and Mainpuri.	61 6 0	Ditto.
(1) Narora Division.			
(2) Mainpuri Division.			
Farrukhabad Branch of the Lower Ganga Canal from mile 0—0 to mile 61—0 in the Narora Canal Division.	Etah and Farrukhabad	61 0 0	Ditto.
Lower Branch of the Lower Ganga Canal from mile 0—0 to mile 64—6 in the Mainpuri Canal Division.	Etah and Mainpuri	64 6 0	Ditto.
Kanpur Branch of the Lower Ganga Canal from mile 0—0 to mile 137—6 falling within the jurisdiction of the following canal divisions:	Mainpuri, Farrukhabad and Kanpur.	137 6 0	Ditto.
(1) Mainpuri Division.			
(2) Kanpur Division.			
Bhognipur Branch of the Lower Ganga Canal from mile 0—0 to mile 106—7 falling within the jurisdiction of the following canal divisions:	Mainpuri, Etawah and Kanpur.	106 7 0	Ditto.
(1) Mainpuri Division.			
(2) Bhognipur Division.			
Etawah Branch of the Lower Ganga Canal from mile 0—0 to mile 136—0 falling within the jurisdiction of the following canal divisions:	Ditto	136 0 0	Ditto.
(1) Etawah Division.			

आशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava
मुख्य प्रबंधक (मृदा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Khanpur Division Office Panki, Kanpur-208 020

भूमि विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायी पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित सरंक्षित वन भूमि का विवरण ।

क्र.सं.	स्थापना स्थल का नाम	प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे०)	वन भूमि का प्रकार
1	रूरा-झीझंक कैनाल मार्ग ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश)	0.2468हे०	सरंक्षित वन भूमि

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी

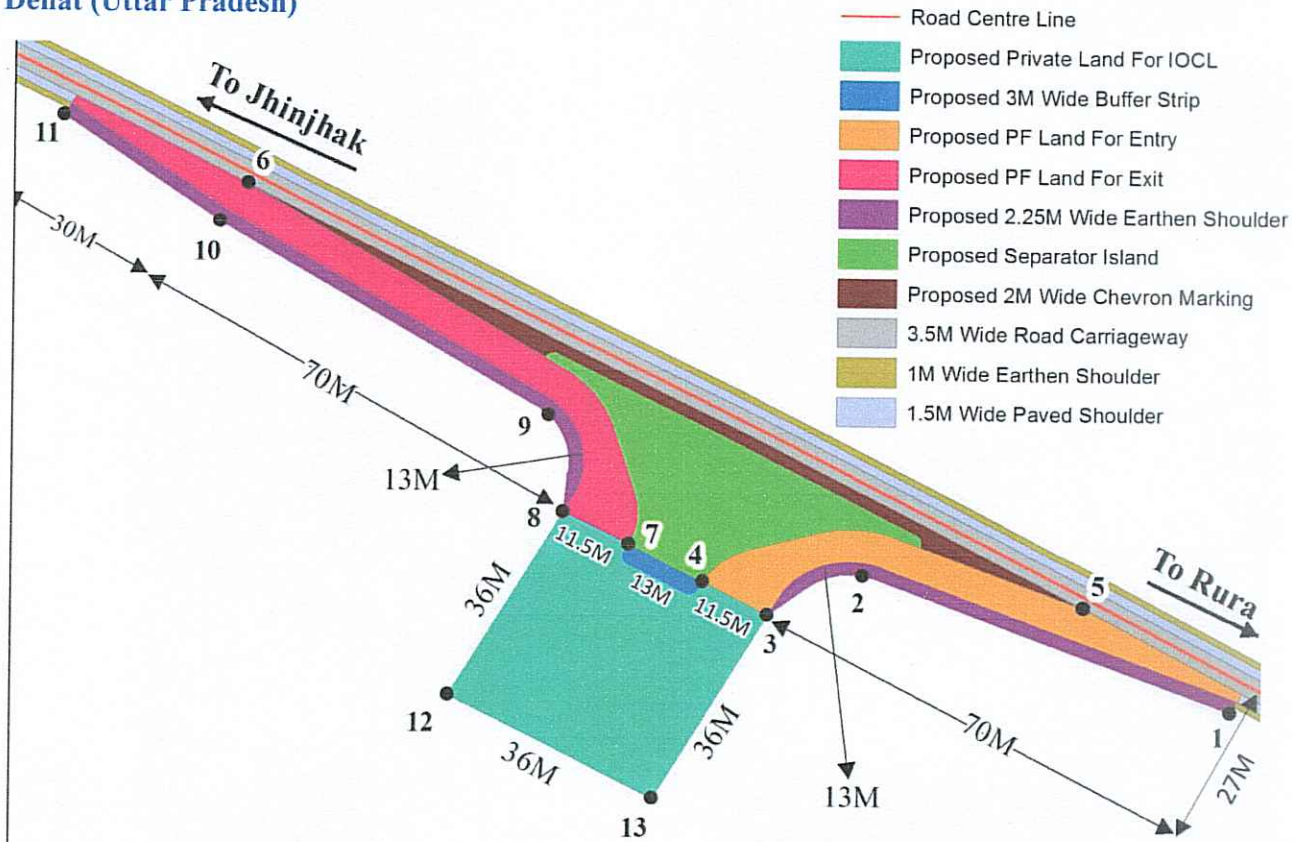
हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (रिटेल) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० (पब्लिक लिमिटेड)
कानपुर मण्डलीय कार्यालय, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panji, Kanpur-208 020

C.S.

प्रभारपीछी व्यवस्थापिकाधिकारी
कानपुर देहात प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (रिटेल) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० (पब्लिक लिमिटेड)
कानपुर मण्डलीय कार्यालय, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panji, Kanpur-208 020

Area Calculation Sheet Of Protected Forest Land Proposed For Diversion For Entry/Exit Approach To Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet On Rura Jhinhak Canal Road At KM. 1 (415-481, LHS) At Gata No. 179, Village: Gutaiya , Tehsil-Akbarpur, District: Kanpur Dehat (Uttar Pradesh)



Area Of Proposed Protected Forest Land Calculated As Per ArcGIS	
Component Name	Shape Area In Square Meter
Proposed PF Land For Entry	461
2.25M Wide Entry Side Proposed Earthen Shoulder	172
Proposed PF Land For Exit	624
2.25M Wide Exit Side Proposed Earthen Shoulder	239
Proposed Separator Island	699
Proposed 2.5M Wide Chevron Marking	273
Total Area	2468
Total Area Of Proposed Protected Forest Land 0.2468 Hectare	
Area Of Proposed Private Land For IOCL	1258
Proposed 3M Wide Buffer Strip	38
Total Area	1296
Total Area Of Proposed Private Land 0.1296 Hectare	
Total Grand Area Protected Forest Land + Private Land	
= 0.2468 + 0.1296	
= 0.3764 Hectare	

प्रति हस्ताक्षर

 प्रभागीय वनाधिकारी
 कानपुर-देहात वन प्रभाग
 कानपुर-देहात

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
 मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
 कानपुर, प्रखंडीया कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
 Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

प्रस्तावित वन भूमि का लैण्ड शेड्यूल

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायी पट्टी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित सरंक्षित वन भूमि का विवरण ।

1	प्रवेश व निकासी मार्ग	प्रवेश मार्ग 461 वर्ग मी० + प्रवेश मार्ग अर्दन शोल्डर 172 वर्ग मी० + निकासी मार्ग 624 वर्ग मी० + निकासी मार्ग अर्दन शोल्डर 239 वर्ग मी० = 1496 वर्ग मी०	0.1496 हे०
2	प्रवेश व निकासी के मध्य भाग का क्षेत्रफल	= 699 वर्ग मी०	0.0699 हे०
3	Chevron Marking	=273 वर्ग मी०	0.0273 हे०
कुल प्रभावित सरंक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल			=0.2468 हे०

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी

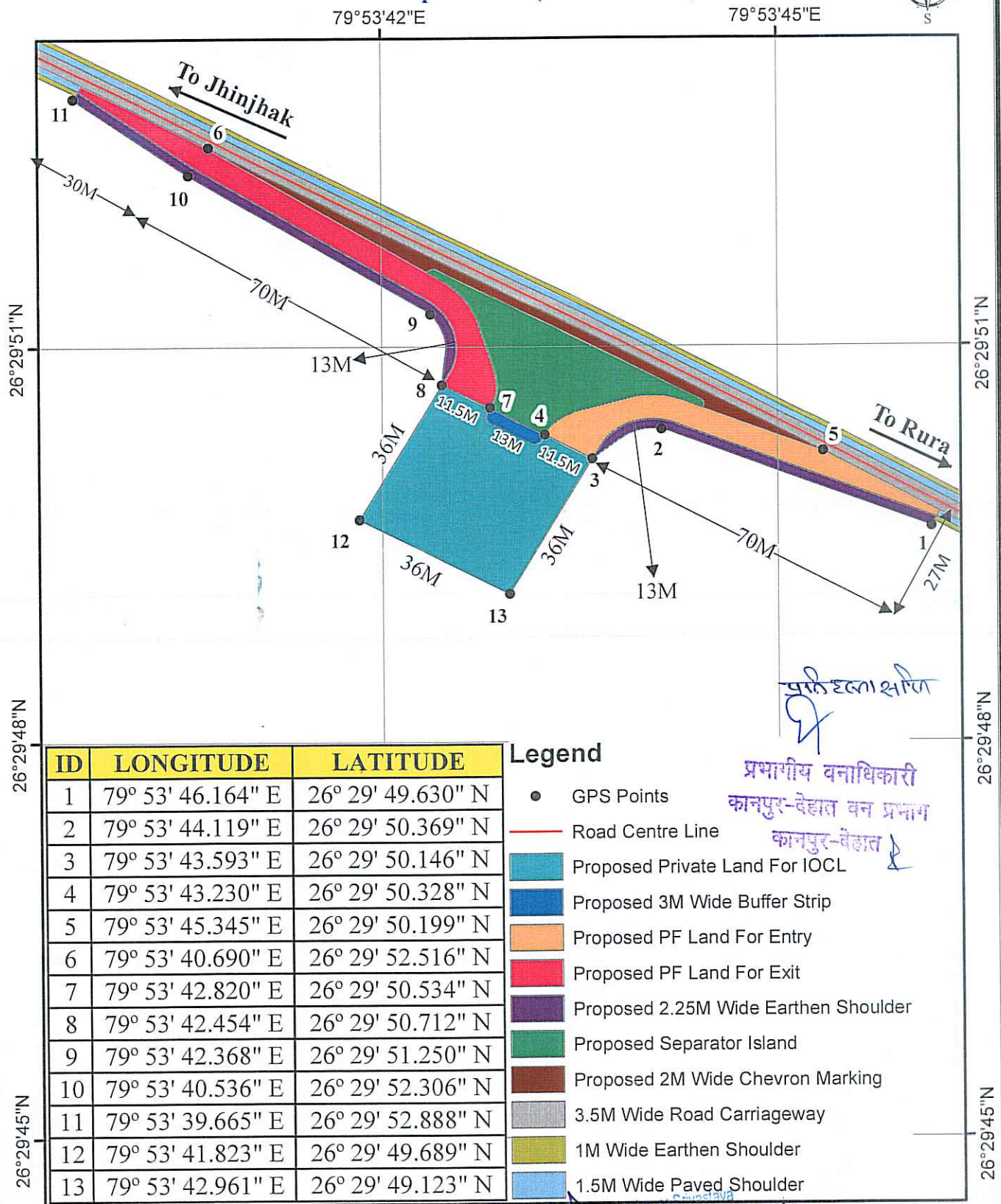
हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (स्वयं नियंत्रण) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

C.S.

प्रभारित अधिकारी
कानपुर देहात प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (स्वयं नियंत्रण) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

Geo Referenced Map of Protected Forest Land proposed for diversion for Entry/Exit approach to Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet on Rura Jhinhak Marg (ODR) at Km.1 (445-481 LHS) at Gata No. 179, Village: Gutaiya, Tehsil-Akbarpur, District: Kanpur Dehat (Uttar Pradesh).



ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 53' 46.164" E	26° 29' 49.630" N
2	79° 53' 44.119" E	26° 29' 50.369" N
3	79° 53' 43.593" E	26° 29' 50.146" N
4	79° 53' 43.230" E	26° 29' 50.328" N
5	79° 53' 45.345" E	26° 29' 50.199" N
6	79° 53' 40.690" E	26° 29' 52.516" N
7	79° 53' 42.820" E	26° 29' 50.534" N
8	79° 53' 42.454" E	26° 29' 50.712" N
9	79° 53' 42.368" E	26° 29' 51.250" N
10	79° 53' 40.536" E	26° 29' 52.306" N
11	79° 53' 39.665" E	26° 29' 52.888" N
12	79° 53' 41.823" E	26° 29' 49.689" N
13	79° 53' 42.961" E	26° 29' 49.123" N

Legend

- GPS Points
- Road Centre Line
- Proposed Private Land For IOCL
- Proposed 3M Wide Buffer Strip
- Proposed PF Land For Entry
- Proposed PF Land For Exit
- Proposed 2.25M Wide Earthen Shoulder
- Proposed Separator Island
- Proposed 2M Wide Chevron Marking
- 3.5M Wide Road Carriageway
- 1M Wide Earthen Shoulder
- 1.5M Wide Paved Shoulder

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

आशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava
मुख्य प्रबंधक (परिवहन) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

0 12.5 25 50 M
Scale - 1:1,250

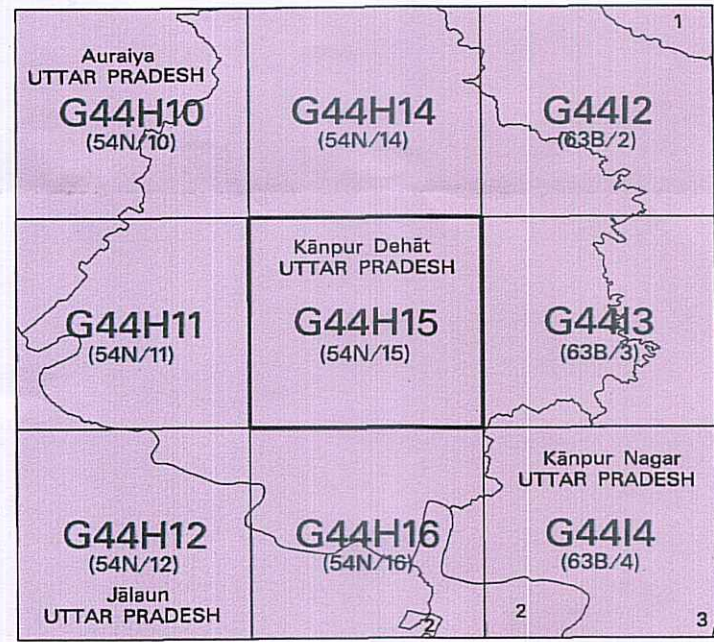


निर्वात के लिए नहीं NOT FOR EXPORT

OPEN SERIES
MAP

No. G44H15

Scale 1:50,000



1 Unnao, UTTAR PRADESH.
2 Hamirpur, UTTAR PRADESH.
3 Fatehpur, UTTAR PRADESH.

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

SURVEY OF INDIA

1st Edition 2011.

Price: ₹ 77/-

CONVENTIONAL SYMBOLS

- Express Highway: with toll; with bridge; with distance stone
Road metalled: according to importance
Roads double carriageway: according to importance
Unmetalled Road: Cart-track, Pack-track and pass, Foot-path
Streams: with track in bed; undrainable; Canal
Dams: masonry or rock-filled; earthwork; Weir
River: dry with water channel; with island & rocks; Tidal river
Submerged rocks, Shoal, Swamp, Roads
Wells: lined, unlined, Tube-well, Spring, Tanks: permanent; dry
Embarkments: road or rail; tanks, Broken ground
Railways, broad gauge: double; single with station; under construction
Railways, other gauges: double; single with distance stone
Mineral line or tramway, Kiln, Cutting with tunnel
Contours with sub-features, Rocky slopes, Cliffs
Send features: (1) flat (2) sand-hills (permanent), (3) dunes (shifting)
Towns or Villages: inhabited; deserted; Fort
Huts: permanent; temporary; Tower, Antiquities
Temple, Chhatra, Church, Mosque, Idgah, Tomb, Graves
Lighthouse, Lightship, Buoy: lighted; unlighted; Anchorage
Mine, Vine on trellis, Grass, Scrub
Palms: palm-tree; other, Plantain, Conifer, Bamboo, Other trees
Areas: cultivated; wooded; Surveyed tree
Boundary, international: demarcated; undemarcated
district; subdivision, tahsil or block; forest
Boundary, Pillars: surveyed; unlocated
Heights, triangulated: station; point; approximate
Bench-mark: geodetic; tertiary; canal
Post office, Telegraph office, Overhead tank
Rest house or inspection bungalow, Circuit house, Police station
Camping ground, Forest: reserved; protected
Spaced names: administrative; locality or tribal
Hospital, Dispensary, Veterinary hospital / Dispensary
Aerodrome, Heliport, Tourist site
Power line: with pylons surveyed; with poles unsurveyed

Legend

- Proposed Forest Land For Approach Road
Proposed Private Land IOCL

REFERENCE

NH 2 National Highway No. 2

NOTES

Heights are in metres and above Indian mean sea level.
Contours are approximate.
A relative height, e.g., 50, represents the approximate height, in metres, between the top and bottom of a steep slope.
The kilometre stone numbers along roads and railways are shown in slant type, e.g., 5, whereas mile-stone numbers are shown in upright type, e.g., 5.
Cart-tracks and unmetalled roads in this sheet are generally motorable in dry season. Permission to use these along canals is required from the irrigation authorities.
Tanks, shown dry in this area, usually contain water from July to March.
A relative height, e.g., 50, marked along canal, indicates the height of the top of the canal embankment above the adjacent country.
Wells are numerous throughout the sheet; only the important ones have been shown.

COMPILATION INDEX

A Modern Survey 1974-75. Updated for major details and administrative boundaries during 2009-06.



1:50,000
600 m to 1 cm
2 cm to 1 km
CONTOUR INTERVAL 20 METRES

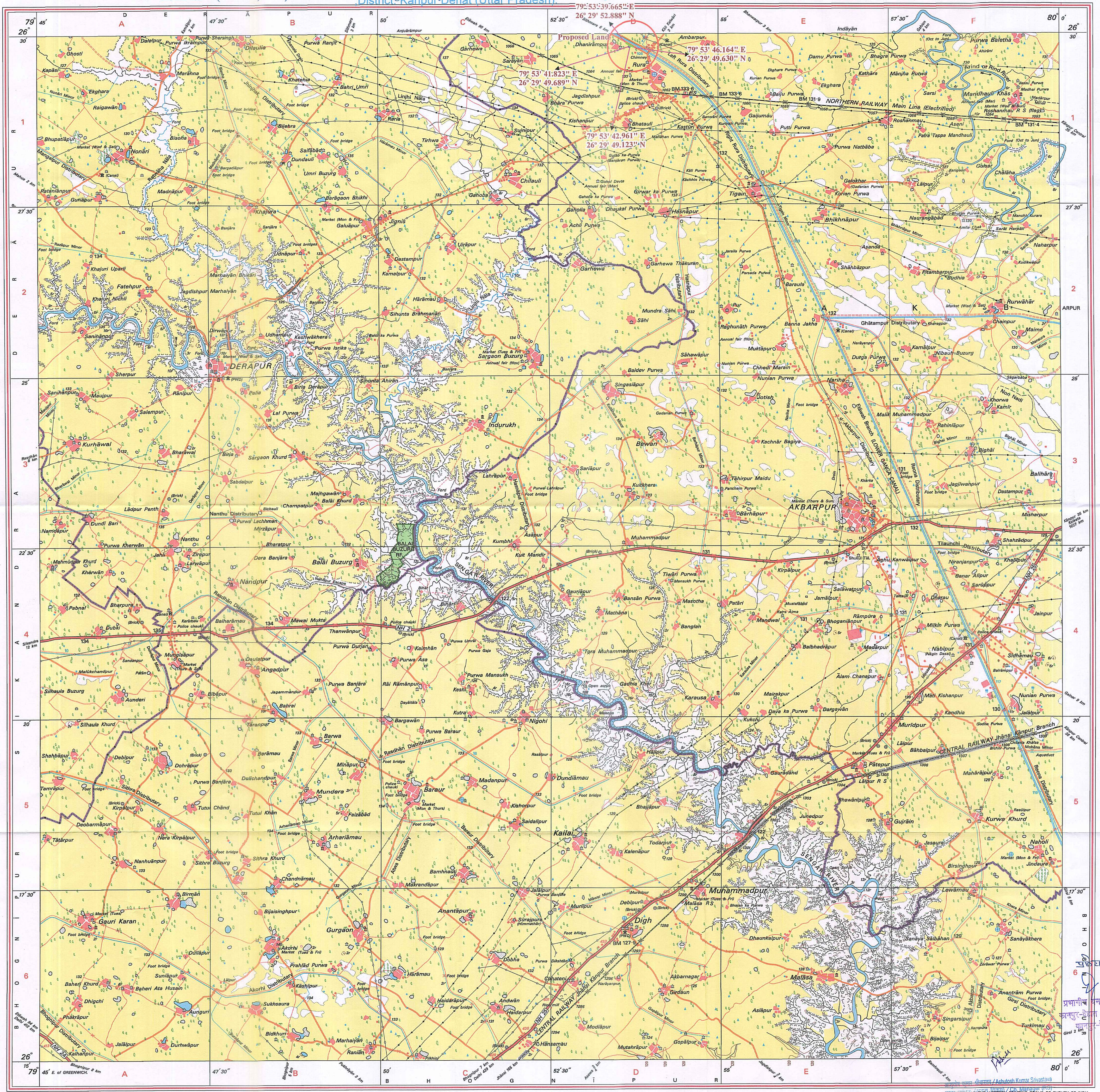
For further details about this map, please contact

Director
East Uttar Pradesh Geo-Spatial Data Centre
Survey of India
B-2 Block, 2nd Floor, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.

WEBSITE - www.surveyofindia.gov.in

Reproduction in whole or part by any means is prohibited without the written permission of Survey of India, the National Mapping Agency.

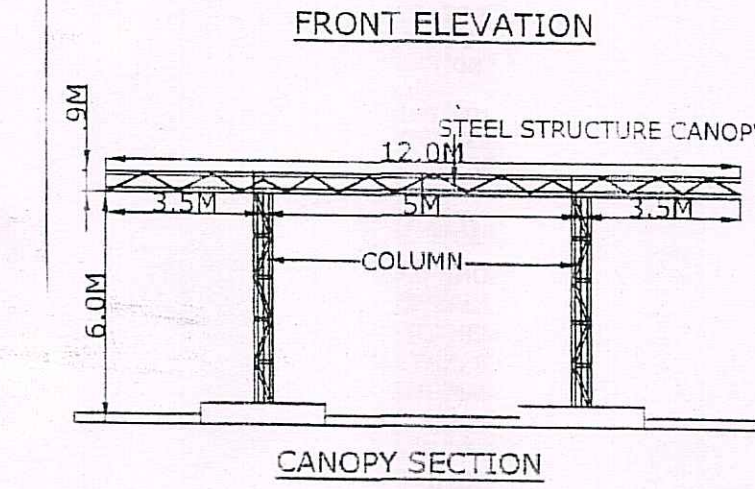
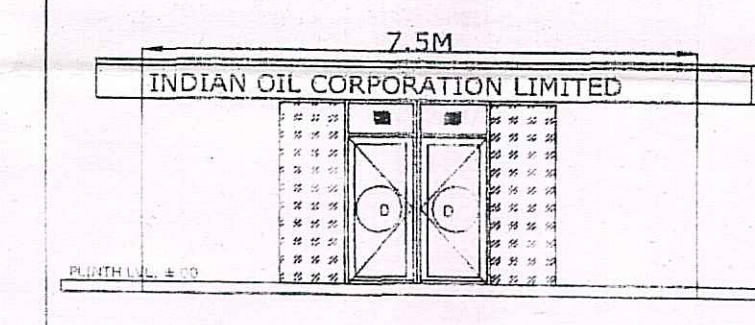
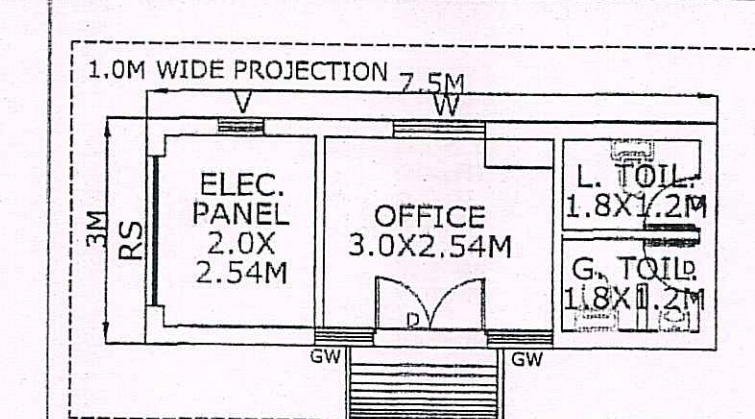
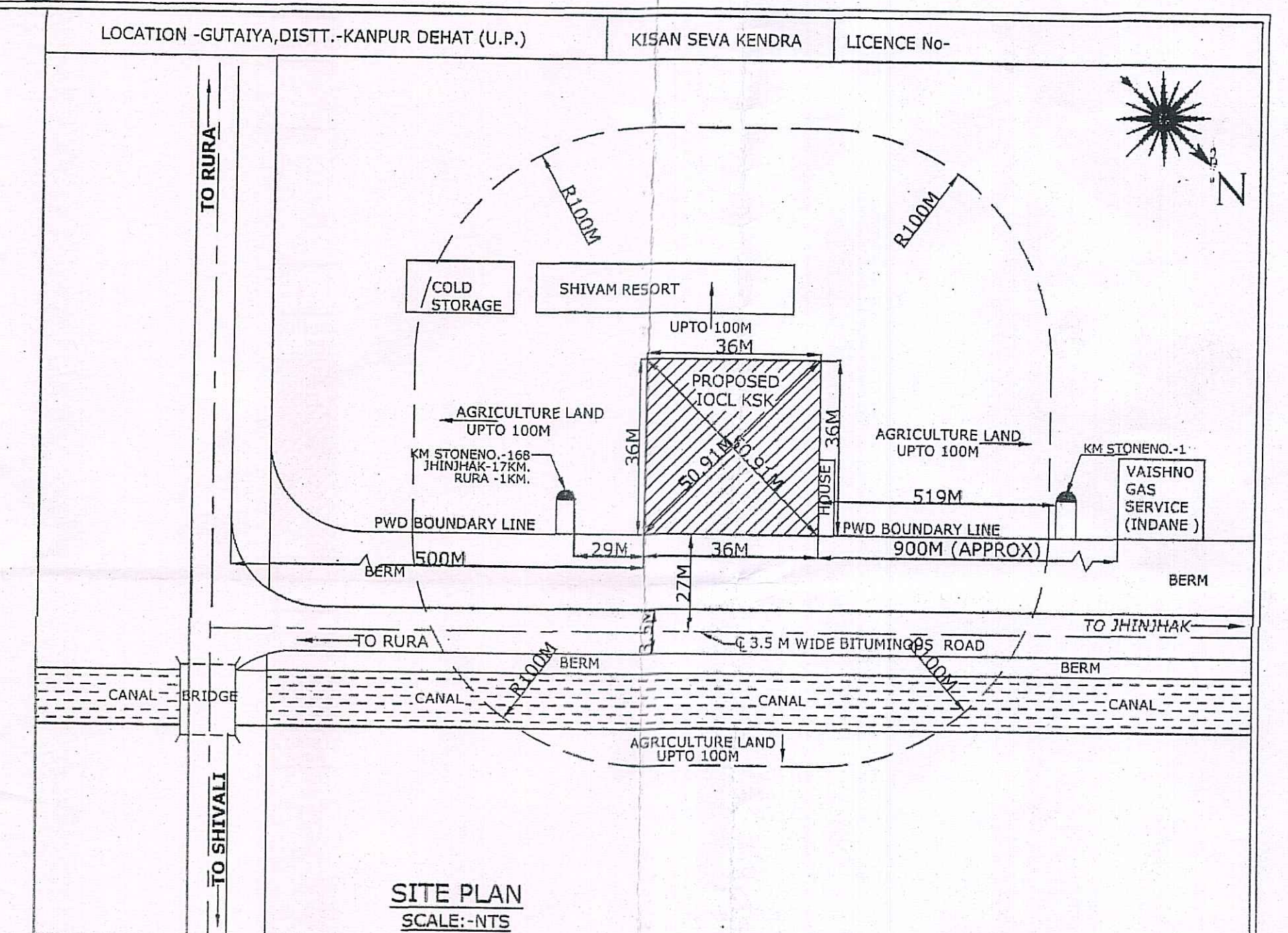
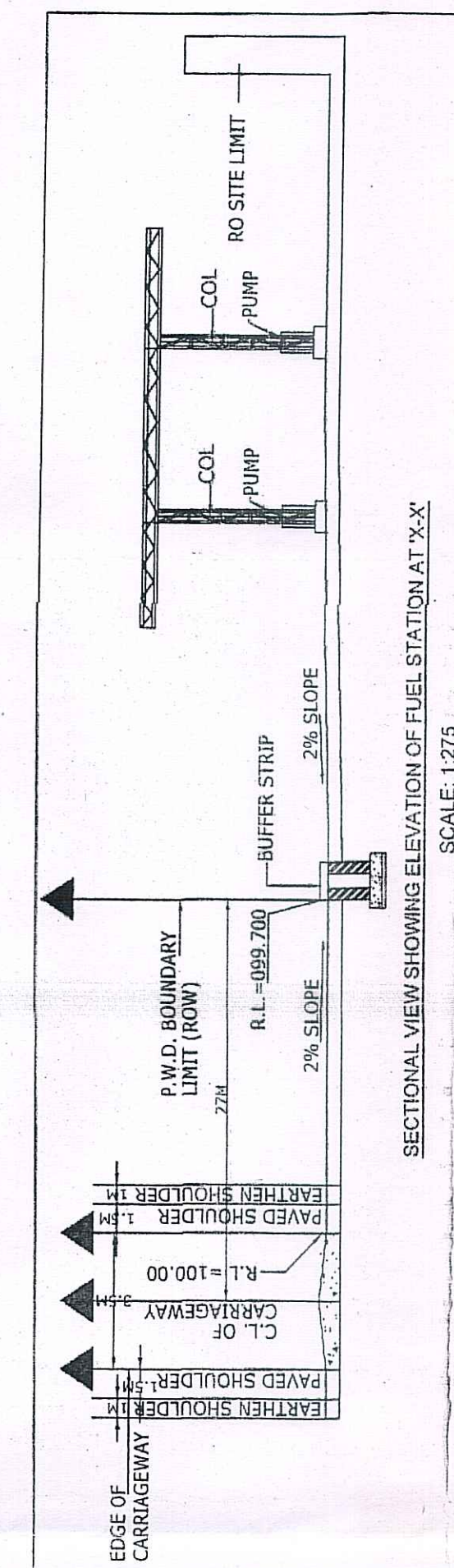
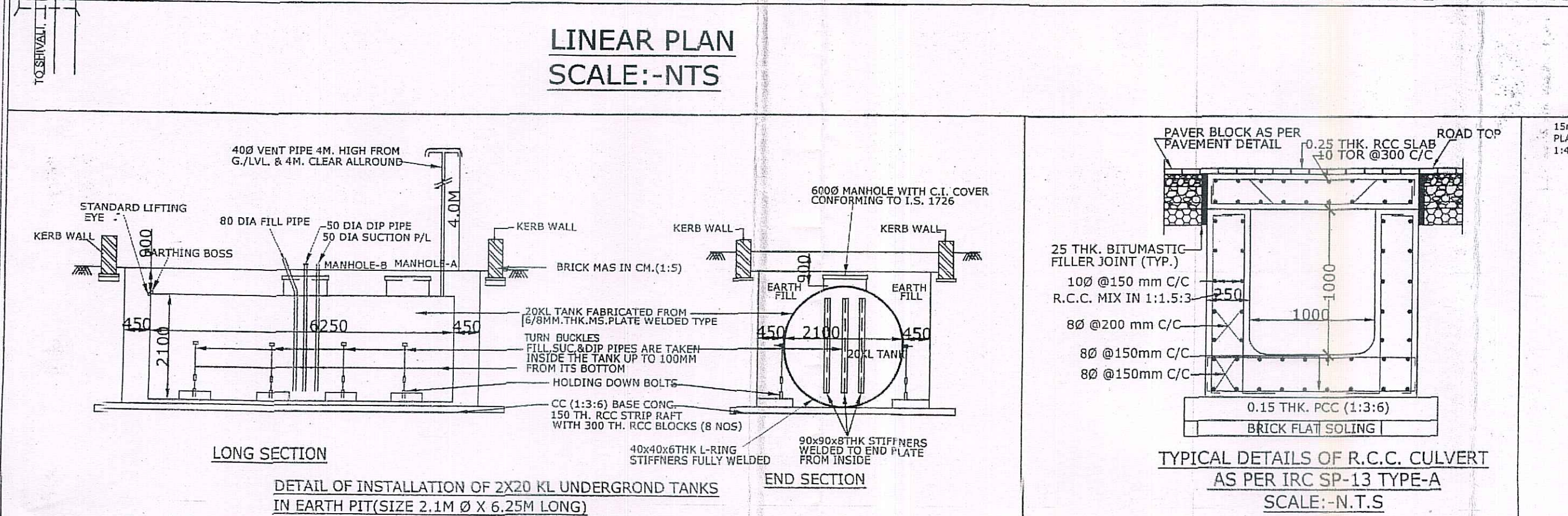
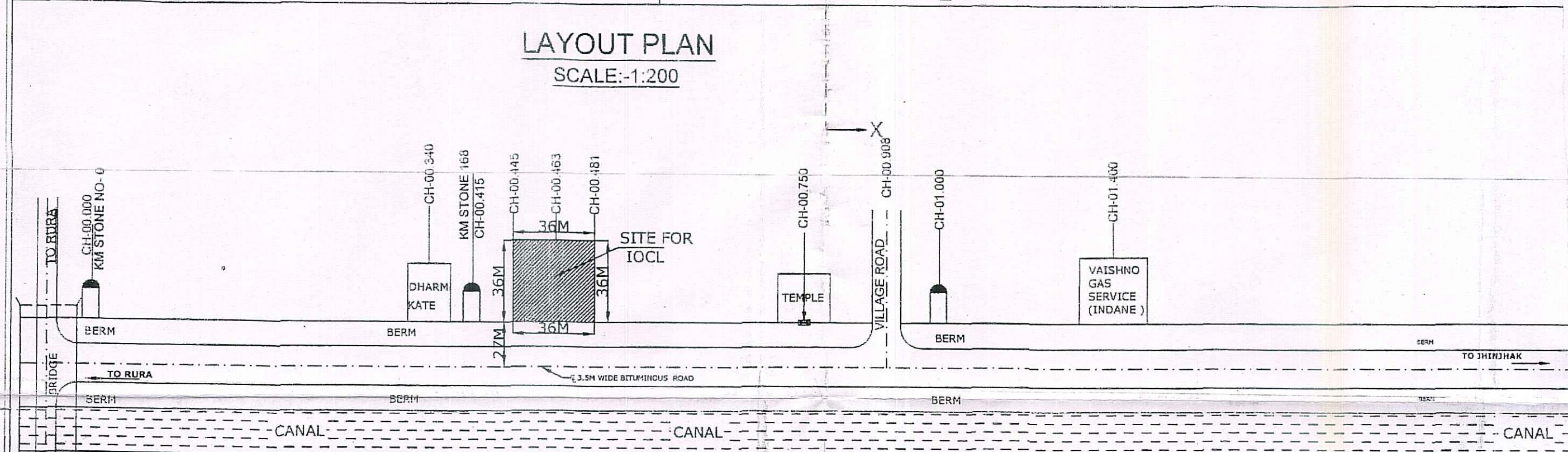
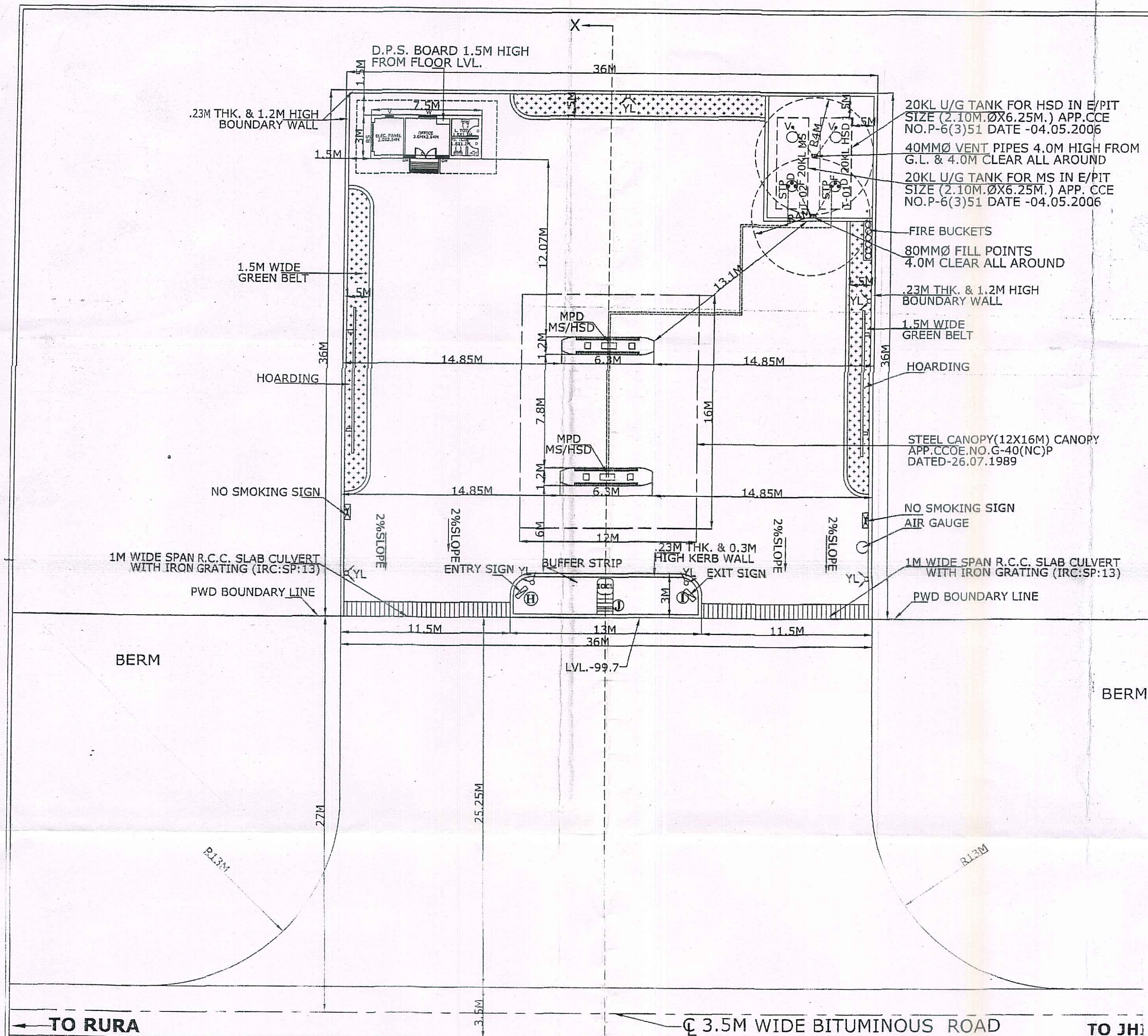
GOVERNMENT OF INDIA COPYRIGHT, 2011.



REG. No. - WPG 011 (East Uttar Pradesh ODC-1:50,000)

भारत के सर्वेक्षणकर्ता सर्वेक्षण विभाग, बी. ई. सर्वेक्षण जनरल ऑफिस,
Published under the direction of Swarna Subba Rao, B.E., Surveyor General of India,
Survey of India, Hathi Bazar Estate, Post Box No. 37, Dehra Dun - 248001 (Uttarakhand),
Department of Science & Technology, Government of India.

PRINTED AT THE WESTERN PRINTING GROUP OF SURVEY OF INDIA.
सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार, सर्वेक्षण जनरल ऑफिस,
हथि बजार इलाहाबाद, पोस्ट बॉक्स नं. 37, देहरादून - 248001 (उत्तरांचल),
विज्ञान विभाग, भारत सरकार, देहरादून - 248001 (उत्तरांचल),
कानपुर कार्यालय, कानपुर - 208 020



- # NOTES:-
1. THE WENT PIPES OF THE TANKS ARE 4 MTS ABOVE THE GROUND AND THEIR ENDS ARE COVERED 2 LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE HAVING 11 MESH PER LINEAR CM. ALL PIPES 80 MM DIA. PROVIDED WITH LOCK COUPLINGS AND AIR TIGHT THREADED BRASS CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
 2. ALL ELECTRICAL FITTINGS PROVIDED ARE FLAME PROOF CONFORMING TO IS-6950-1-1987.
 3. ALL THE DOORS AND WINDOWS OF THE BUILDINGS ARE PROVIDED TO OPEN OUTWARDS.
 4. PIPE OF THE TANKS ARE WITH CAP ASSEMBLY.
 5. NO SEVER OR SURFACE DRAINS ARE WITHIN 6.0 M OF UNDERGROUND TANKS AND DUS.
 6. THE PREMISES TO BE USED FOR ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
 7. TANKS ARE PAINTED WITH 2 COATS OF ALUMINUM PAINT OVER 2 COATS OF RED OXIDE PRIMER TO PROTECT CORROSIONS.
 8. FABRICATION DESIGN OF U/G STORAGE TANK ARE CONFORMING TO IS-10987: 0.35KG PER CCE NAGRUR APPROVAL NO. P-63614, DT-04-05-2006.
 9. SAND BUCKETS AND FIRE EXTINGUISHERS ARE PROVIDED AS PER PETROLEUM RULES.
 10. TANK TESTING HAS BEEN DONE BY PROVIDING CONTROLLER PRESSURE OF 0.35KG/SQCM FOR 2 HOURS.
 11. DIP RODS PROVIDED ARE 3280 MM LONG.
 12. THICKNESS OF SHELL PLATES & END PLATES OF TANKS ARE SHELL 6 MM TH. & ENDS 8MM TH.
 13. TANKS CONFORM TO CLAUSE 124.125 & 131 OF THE PETROLEUM RULES 2007.
 14. ALL LIGHT POLES FITTED AS PER APPROVAL OF CCE NAGRUR VIDE LETTER NO PL-1117 DT-28/11/2003 ADEQUATE ARRANGEMENTS HAVE BEEN MADE FOR PROPER LIGHT AT THE PREMISES.
 15. NATURAL DOWN SLOPE FROM THE RIDGE OF METALLIC ROAD TO CURBENT ON APPROXIMELY WOULD BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAINS.
 16. TANKS APPLICABLE IFC 1983 NORMS WITH LATEST AMENDMENT.
 17. HE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION, AND NO CASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
 18. HIGH TENSION LINE PASS THROUGH THE PREMISES.
 19. TANKS ARE FED BY TANK LORRY ONLY.
 20. TANK CAPACITY OF 20KL = 3.14X(1/2)X2^2X26.25=21636 LTRS. LESS AIR CAPACITY = 16363LTRS ACTUAL CAPACITY = 20000 LTRS.
 21. THE CONSTRUCTION OF RO AS PER IFC APPROVAL NO 12/83 AND IFC ARE BEING FOLLOWED.
 22. FLEX HOARDING WILL NOT BE USED. TIN BOARD HOARDING WILL BE USED FOR DISPLAY ADVERTISEMENT OR GUYT. SCHEMES.
 23. STEEL CANOPY APPROVAL NO. CCE G-40 (CN-P) CANOPY DT. 26.07.89.

- S.H. / M.D.R. / O.D.R. / NOTES:-**
1. ACCESS ROAD SHOULD HAVE MIN. PAVEMENT COMPOSITION OF 150mm THK. GSB, OVERLAID BY THREE LAYERS OF WBM, EACH OF 75mm THICKNESS (OTHER THAN WBM-GRADING NO. 1), TOPPED BY 50mm THK. BM & 25mm THK. SDBC.
 2. ALL PAVEMENT MARKINGS SHOULD BE AS PER LATEST IRC 35.
 3. ALL TRAFFIC SIGNS SHOULD BE AS PER LATEST IRC 67 & LATEST IRC SP-55. IN CASE OF A FUEL STATION LOCATED ON THE OTHER SIDE OF TRAVEL DIRECTION THE USER SHOULD BE INFORMED OF THE LOCATION OF THE FUEL STATION IN HIS/HER DIRECTION OF TRAVEL THOUGH INFORMATION SIGNS AS SHOWN IN THE TABLE OF THIS DRAWING.
 4. THE LENGTH OF SEPARATOR ISLAND SHOULD BE DETERMINED AS PER SITE CONDITION. ITS MINIMUM WIDTH SHOULD BE 3M.
 5. THE SEPARATOR ISLAND AND BUFFER STRIP SHALL BE TURFED WITH PROVISION OF 275mm HIGH KERB.
 6. SLAB CULVERTS WITH GRATINGS TO BE PROVIDED IN THE LINE OF STORM WATER DRAIN ON ENTRY AND EXIT APPROACHES TO CATER TO THE EXPECTED DISCHARGE.
 7. ALL DIMENSION ARE IN METER UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

[illegible]

वन भूमि की गणना अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायी पट्टी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रभावित सरंक्षित वन भूमि 0.2468 हे० की गणना जो लोक निर्माण विभाग, कानपुर देहात द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान व वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही की गयी है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी



हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विभाग) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

C.S.



प्रभागीय वन अधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विभाग) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020



BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : गृहेहा	परामा : (अकनपुर)	तहसील : अकनपुर	जनपद : कानपुर देहात	फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)	भाग : 1	खाता संख्या : 00102
खतेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी		
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।						
रेन शुक्ला / सुशीलकुमार / नि बार्डन 0 5 कस्बा स्टा बीना बाजपेयी / कपिल कुमार / नि राममोहन का हाता कानपुर नगर	179	0.9740	1424क0- आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी अकनपुर वाद सं0 22/23/03/17 नाथ तहसीलदार अकनपुर की आख्या दिनांक 16/03/17 की पृष्ठ की जाती है। ग्राम गृहेहा की खाता सं0 46 आराजी सं0 179 रकबा 0.974 हे0 भूमि को अकृषिक भूमि घोषित कर लगान से मुक्त की जाती है। धारा 80 उप0 राजस्व संहिता 2006। 01/04/17			
योग	1	0.9740				

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (शुबंद (गाटा) के वाद ग्रस्त/विक्रय/भू-नक्शा/नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर बिलिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अधिन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्गण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

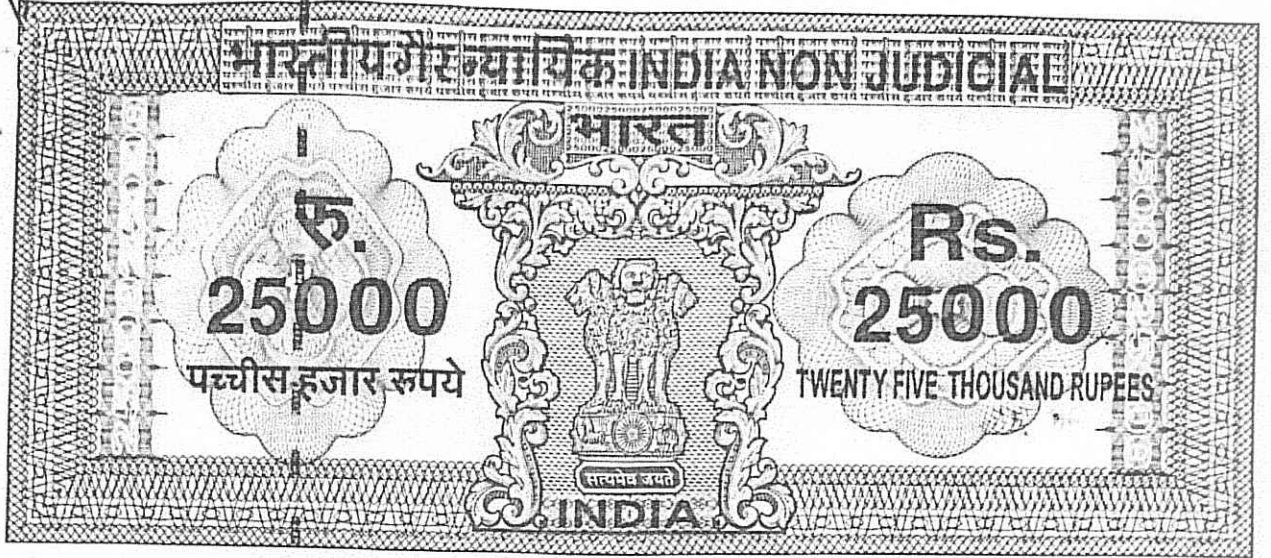


प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

(Signature)

होमन्त कुमार / Homant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खसरा बिलिक) / Ch. Manager (RS)
राज्यीय वन्य जीव संरक्षण विभाग, कानपुर
कानपुर नगरपालिका कार्यालय परिसर, कानपुर-201 002
Kannpur Divisional Office Panki, Kannpur-201 002

1738/16



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

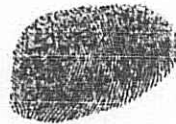
श्रीगणेशायनमः

E 921901



- 1- कार्यालय का नाम - उपनिबन्धक कार्यालय अकबरपुर कानपुर देहात
- 2- लेखपत्र निष्पादन की तिथि- 02-03-2016
- 3- लेखपत्र प्रस्तुतीकरण तिथि- 02-03-2016
- 4- लेखपत्र की प्रकृति- विकयपत्र
- 5- विकयमूल्य :- 43,26,000 / रुपये
- 6- सरकारी मालियत - 55,05,000 / रुपये
- 7- विक्रेता की संख्या- 01
- 8- केतनीगण की संख्या- 02

Radumina Narain Tripathi



हेमन्त कुमार Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RQ)
भारतीय तेल कंपनियों लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय वनको, कानपुर-208 020
Regional Office Bunko, Kanpur-208 020

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 921902

2

9- विक्रेता का नाम व पता- प्रद्युम्ननरायन पुत्र जगदीश नरायन निवासी ग्राम धनीरामपुर तहसील अकबरपुर जिला कानपुर देहात मो0नं0- 7317555321।

10- केतनीगण का नाम व पता- श्रीमती रेनू शुक्ला पत्नी सुशील कुमार शुक्ला निवासिनी वार्ड नं0- 5 शेरगंज कस्बा रुरा तहसील अकबरपुर जिला कानपुर देहात मो0नं0- 9918591819 व श्रीमती बीना बाजपेई पत्नी कपिल कुमार बाजपेई निवासिनी राममोहन का हाता तहसील व जिला कानपुर नगर मो0नं0-9455509986

11- भूमि की प्रकृति -आराजी कृषि भूमिधरी । (ग्रामीण क्षेत्र)

12- भूमि स्थित ग्राम - गुटैहा तहसील अकबरपुर जिला कानपुर देहात।

13- विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -विक्रीत आराजी स्थित ग्राम गुटैहा तहसील अकबरपुर जिला कानपुर देहात मे है। जिसका कि आराजी नम्बर व रकबा निम्न प्रकार है।

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
46	179	0.9740 हे0

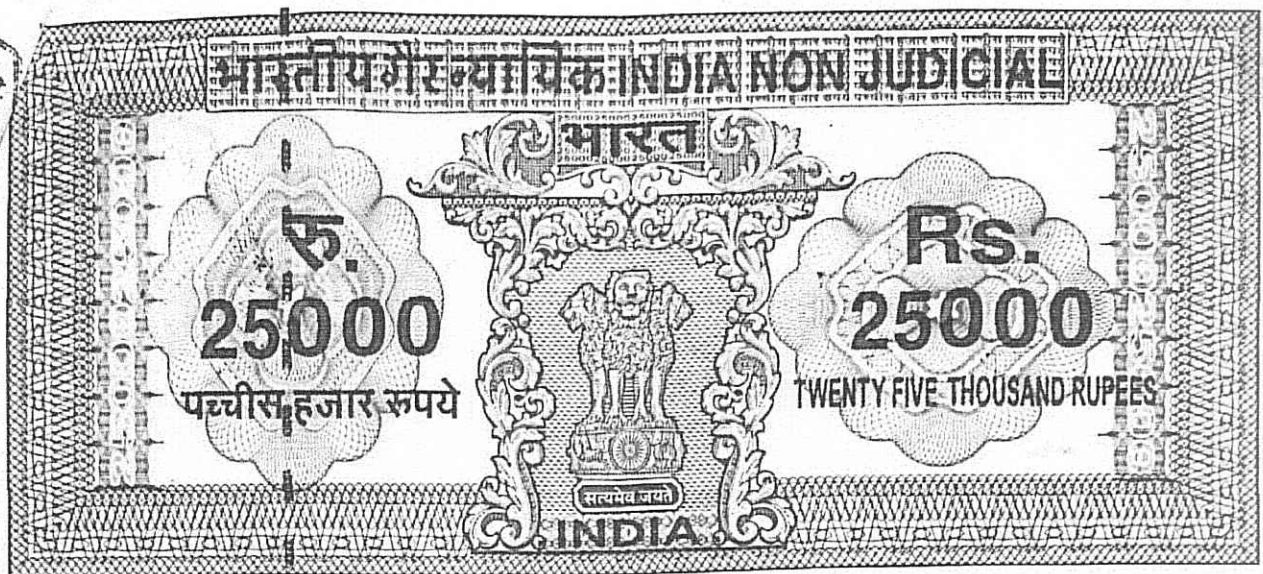
कुल 1 किता कुल रकबा - 0.9740 हे0 लगान 60 ख के अनुसार कि0ज0सि0 मे मुझ मुक्ति का पूर्ण भाग रकबा है जो कि मुझ मुक्ति ने अपना सम्पूर्ण रकबा 0.9740 हे0 विक्रय किया गया है।

Bodhanna Dharma Tripathi

रेनू शुक्ला

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

डेवरा कुमार/Homant Kumar
मुख्य प्रबंधक (वृक्ष विज्ञान)/Ch. Manager (RS)
हिंदी ऑल इंडिया लिमिटेड/Hindi Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय वनाधिकारी कानपुर-205 020
Kanpur Divisional Office Forest, Kanpur-205 020



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

E 921903

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
29	180	0.0510 हे०
	185ख	0.0510 हे०
	196	0.0720 हे०

कुल 03 किता कुल रकबा - 0.1740 हे० लगान 60 ख के अनुसार कि०ज०सि० मे मुझ मुकिए का 1/2 भाग रकबा 0.087 हे० है जो कि मुझ मुकिए ने अपना सम्पूर्ण रकबा 0.0870 हे० विक्रय किया गया है।

इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा- 1.061 हे० है।

14- जमीनकिस्म- सिंचित।

15- रोड का विवरण- विक्रीत आराजी पक्की सडक के किनारे स्थित है।

16- निर्मित/अनिर्मित- अनिर्मित कृषिभूमि।

17- विक्रीत आराजी की 200 मी० की चौहददी निम्नवत है।

गाटा सं०- 179 की चौहददी निम्न प्रकार है।

पूर्व मे- गाटा सं०- 183 व 184

पश्चिम मे- गाटा सं०- 178 व 180

उत्तर मे- जगह नहरविभाग बादहू रुरा झीझक मार्ग।

दक्षिण मे- ग्राम धनीरामपुर की सरहद।

Badunman Noman in patha

प्रति हस्ताक्षर

रंजु कुमर

प्रभागीय/वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

Hemant

हेमन्त कुमार/Hemant Kumar
मुख्य प्रांतिक (सुपुत्र विक्रय)/Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पार्क, कानपुर-203 023
Kanpur Divisional Office Park, Kanpur-203 023



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

E 921904

गाटा सं०- 180,185ख, 196 की चौहददी निम्न प्रकार है।

पूर्व में- गाटा सं०- 179 बादहू अन्य आराजी

पश्चिम में- गाटा सं०- 181 बादहू अन्य आराजी

उत्तर में- गाटा सं०- 179 बादहू अन्य आराजी

दक्षिण में- गाटा सं०- 179 बादहू अन्य आराजी

18- स्टाम्प शुल्क अदायगी का विवरण-

1- सर्किल रेट दर- 50,00,000 / रुपया प्रतिहेक्टेयर है भाग-2 प्रारूप-4 के अनुसार।

2- सरकारी मालियत - 55,05,000 / -रुपये

3- स्टाम्प शुल्क अदायगी की दर - 04 प्रतिशत व 05 प्रतिशत।

4- स्टाम्प धनराशि - 2,65,250 / -रुपये

19- विकीत आराजी नगरीय क्षेत्र / टाउन एरिया सीमा में नहीं है।

20- विकीत आराजी कानपुर विकास प्रधिकरण सीमा के बाहर है।

Chakma/Karain path

2-12/2011

प्रति हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

Chakma
हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (वन विभाग) / Ch. Manager (R&D)
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पार्क, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Park, Kanpur-208 020



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

E 921905

मैं मुकिर प्रद्युम्ननरायन पुत्र जगदीश नरायन निवासी ग्राम धनीरामपुर तहसील अकबरपुर जिला कानपुर देहात का हूँ मैं मुकिर व केतनीगण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के सदस्य नहीं है एवं विकीत आराजी जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 15 कि०मी० की दूरी पर स्थित है जिसका मैं मुकिर अपने भाग का मालिक स्वामी काबिज एवं दखील हूँ एवं जिसके विक्रय एवं हस्तान्तरण करने के समस्त अधिकार मुझ मुकिर को प्राप्त है। अस्तु स्थिर बुद्धि एवं स्वेच्छा से मुझ मुकिर ने अपनी निम्न आराजी को बिना किसी आतंक व दबाव के सम्पूर्ण स्वत्वो व अधिकारो के सहित बगरज निजी व घरेलू व अन्य आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु बिल एवज मुबलिग- 43,26,000/- रुपये जिसके आधे मुबलिग - 21,63,000/- रुपये होते हैं मे बदस्त श्रीमती रेनू शुक्ला पत्नी सुशील कुमार शुक्ला निवासिनी वार्ड नं०- 5 शेरगंज कस्बा रुरा तहसील अकबरपुर जिला कानपुर देहात व श्रीमती बीना बाजपेई पत्नी कपिल कुमार बाजपेई निवासिनी राममोहन का हाता तहसील व जिला कानपुर नगर को मुझ मुकिर ने बय कतई कर दिया है यानी बेच दिया है। यह कि मुझ मुकिर ने आज की तारीख से उक्त केतनीगण को विकीत आराजी पर कब्जा व दखल दे दिया है एवं

Badamma/Kanpur/Pathi

शुक्ला

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

Homant Kumar

होमन्त कुमार / Homant Kumar
मुख्य प्रबंधक (सुप्लाय निगम) / Ch. Manager
भारतीय तेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय / Kanpur Regional Office
कानपुर-२०० ००२

Kanpur Divisional Office Pankaj, Kanpur

Scanned by CamScanner



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

E 921906

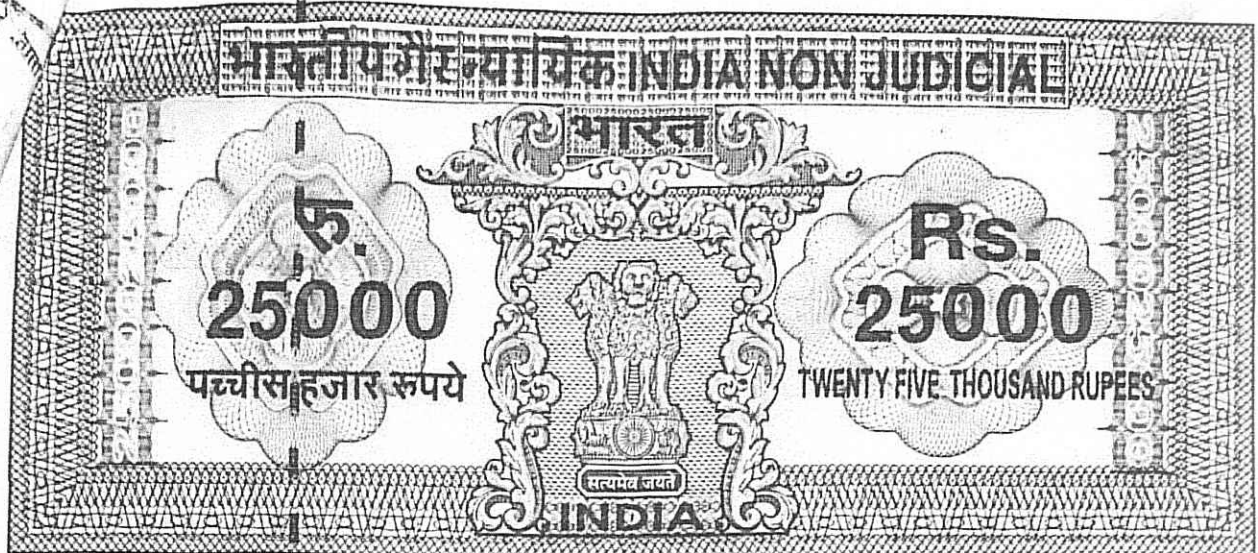
अपनी ही भांति मालिक स्वामी बना दिया है एवं विक्रय मूल्य में से मु०- 29,00,000/रुपये जरिये चेक सं०-286515 दिनांकित 29-02-2016 जारीकर्ता बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा रुरा कानपुर देहात व मु०- 10,00,000/रुपये आज दिनांक 02-03-2016 को बैंक पी०एन०बी० शाखा रुरा चेक सं०-430444 से भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुमटी नम्बर 5 कानपुर नगर के खाता सं० 325117064880 में जमा कर दिये हैं व शेष मु०- 4,26,000/रुपये आज समक्ष सबरजिस्ट्रार अकबरपुर कानपुर देहात प्राप्त होगा इसके बाद विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में मुझ मुक़िर को क़ेतनीगणों से कुछ भी पाना शेष नहीं रहेगा विक्रीत आराजी पर क़ेतनीगण कागजात सरकारी में मुझ मुक़िर के नाम के स्थान पर अपना नाम दर्ज करा लेवे इसमें मुझ मुक़िर को या मेरे वारिसानों को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति न होगी विक्रीत आराजी पूर्णतया पाक व साफ एवं विवादित नहीं है जिसपर कोई कुवां या इमारत नलकूप नीव आदि नहीं है विक्रीत आराजी हरप्रकार ऋणभार व बन्धन बैंक लोन आदि से मुक्त है विक्रीत आराजी सीलिंग कानून अधिग्रहण आदि से मुक्त है यदि मुझ मुक़िर की किसी भी प्रकार की

Bodumma Narain Tripathi

रंजु शर्मा

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (बुद्धि विभाग) / Ch. Manager (R&D)
इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड / India Oil Corporation Limited
कानपुर नगर क्षेत्र कार्यालय, कानपुर-201 002
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-201 002



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7

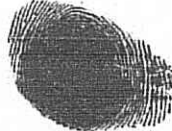
E 921907

नुक्स मिलिकयत या स्वामित्व की गलती से विक्रीत आराजी का कुल भाग या जुज भाग केतनीगण के कब्जे से निकल जावे तो केतनीगण को यह अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रयमूल्य मय हर्जा व खर्चा जरिए अदालत मुझ मुकिर व मेरे वारिसान व मुझ मुकिर की दीगर चल व अचल सम्पत्ति से वसूल पाने के अधिकारी होंगे विक्रीत आराजी के सम्बन्ध मे कोई ऋण या विवाद आदि पाया जावे तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुझ मुकिर की होगी विदित हो कि मुझ मुकिर को किसी न्यायालय या सरकारी विभाग द्वारा विक्रीत आराजी को विक्रय करने से रोका नहीं गया है और न ही कोई वाद किसी भी न्यायालय मे विचाराधीन है विक्रीत आराजी का इसके पूर्व कोई इकरारनामा बय नहीं हुआ है। यदि कोई दीगर व्यक्ति किसी समय किसी प्रकार की आपत्ति इस प्रलेख के सम्बन्ध मे करे तो वह जरिये अदालत अमान्य मानी जावे।

Radhama Narain Tripathi

सुशुब्बा

प्रतिष्ठासिंह



प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

W

Deewan
अधीक्षक (पुनरी) / Ch. Manager (P)
पुनरी वन विभाग / Indian Oil Corporation Ltd.
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 012
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 030





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8

E 921908

अतएव मुझ मुकिर ने खूब सोच व समझकर बिना किसी आतक व दबाव के पूर्ण होश हवास में यह विक्रयपत्र तहरीर कर दिया जो कि सनद रहे और वख्त जरूरत पर काम आवे।

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - विक्रीत आराजी स्थित ग्राम गुटैहा तहसील अकबरपुर जिल्ले कानपुर देहात में है। जिसका कि आराजी नम्बर व रकबा निम्न प्रकार है।

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
46	179	0.9740 हे०

कुल 1 किता कुल रकबा - 0.9740 हे० लगान 60 ख के अनुसार कि०ज०सि० में मुझ मुकिर का पूर्ण भाग रकबा है जो कि मुझ मुकिर ने अपना सम्पूर्ण रकबा 0.9740 हे० विक्रय किया गया है।

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
29	180	0.0510 हे०
	185ख	0.0510 हे०
	196	0.0720 हे०

कुल 03 किता कुल रकबा - 0.1740 हे० लगान 60 ख के अनुसार कि०ज०सि० में मुझ मुकिर का 1/2 भाग रकबा 0.087 हे० है जो कि मुझ मुकिर ने अपना सम्पूर्ण रकबा 0.087 हे० विक्रय किया गया है।

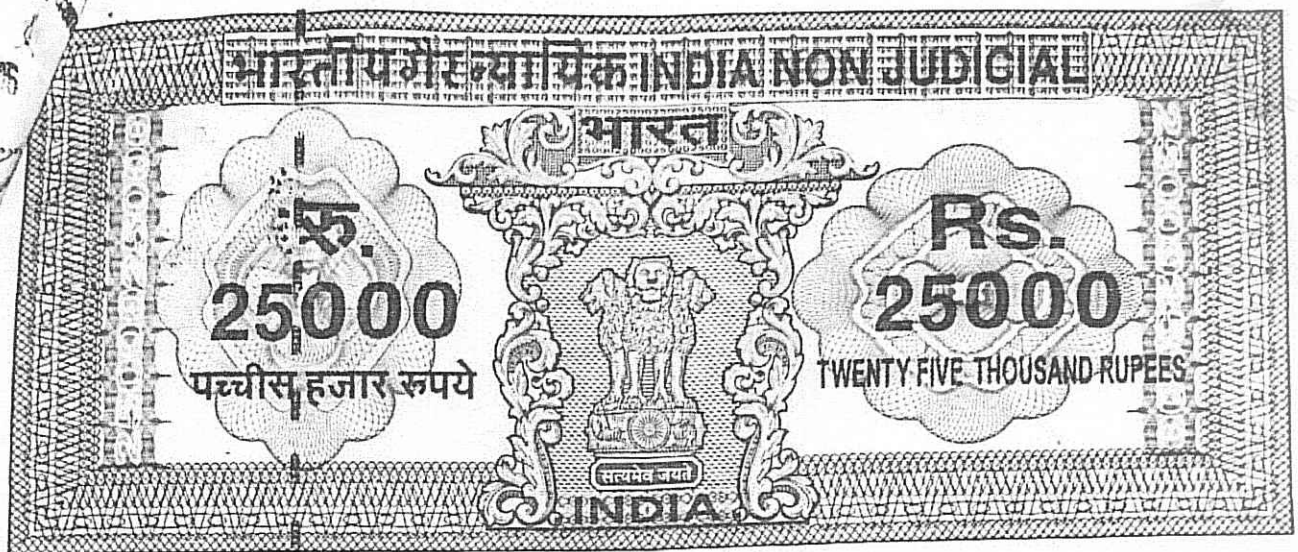
इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा - 1.061 हे० है।

Rudra Narain Tripathy

रुद्र नारायण त्रिपाठी

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

Ch. Man...
मुख्य प्रबंधक (वृक्ष विक्रय) / Ch. Man...
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Ltd.
कानपुर मण्डलीय कार्यालय वनकी, कानपुर-200 020
Kanpur Divisional Office Penki, Kanpur-200 020



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9

E 921909

विकीर्त आराजी की चौहददी निम्न प्रकार है।

गाटा सं०- 179 की चौहददी निम्न प्रकार है।

पूरब मे- गाटा सं०- 183 व 184

पश्चिम मे- गाटा सं०- 178 व 180

उत्तर मे- जगह नहरविभाग बादहू रुरा झीझक मार्ग।

दक्षिण मे- ग्राम धनीरामपुर की सरहद।

Badanana Narain Tripathi



देवदत्त



प्रति हस्ताक्षर

[Signature]

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

[Signature]

[Signature]
हैनन्त कुमार (चुनित अधिकारी) / Ch. Manager (निर्वाह)
भारतीय न्यायिक लिमिटेड / Indian Oil Corporation Ltd.
कानपुर नगरपालिका कार्यालय पनकी, कानपुर-205 001
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-205 001





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10

E 921910

गाटा सं०- 180, 185ख, 196 की चौहददी निम्न प्रकार है।

पूरब मे- गाटा सं०- 179 बादहू अन्य आराजी

पश्चिम मे- गाटा सं०- 181 बादहू अन्य आराजी

उत्तर मे- गाटा सं०- 179 बादहू अन्य आराजी

दक्षिण मे- गाटा सं०- 179 बादहू अन्य आराजी

Radumma Narain Tripathi

शुक्ला

श्री दत्तात्रेय

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

Signature

कानपुर मण्डलीय कार्यालय पन्की,
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 021506

A 021506

11

विदित हो कि विक्रीत आराजी नगरीय क्षेत्र/टाउन एरिया में नहीं है विक्रीत आराजी पर कृषि होती है एवं कृषि प्रयोजन हेतु केतनीगण द्वारा कय की गई है एवं कानपुर विकास प्राधिकरण सीमा के बाहर स्थित है विदित हो कि विक्रीत आराजी पक्की सड़क के किनारे स्थित है अतएव विक्रीत आराजी की कुल सरकारी मालियत रेटलिस्ट के भाग-2 प्रारूप-4 के अनुसार रेट- 50,00,000/- रुपया प्रतिहेक्टेयर की दर से सरकारी मालियत 53,05,000/-रुपये आती है विदित हो कि विक्रीत आराजी में 500 पेड यूकेलिप्टस के लगे हैं जिनकी उम्र 01 वर्ष से कम है जो कि निर्धारित रेट लिस्ट के अनुसार 4,000/रुपये प्रतिपेड के अनुसार मु0- 2,00,000/रुपये होती है इस प्रकार कुल सरकारी मालियत मु0- 55,05,000/रुपये होती है नवीन शासनादेश के अनुसार केतनीगण महिला द्वारा बैनामा कराने पर मु0- 10,00,000/रुपये 04 प्रतिशत व शेष मु0- 45,05,000/रुपये पर 05 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। जो कि उचित है।

प्रति हस्ताक्षर

अतएव बैनामा में विक्रेता एवं केतनीगण ने पढकर तथा खूब सोच समझकर बिना किसी आंतक अथवा दबाव के पूर्ण सन्भावस्था में हस्ताक्षर /नि0/अं0 किए हैं।

Badamma Warden Tripathi

कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

शुभ

Shravan

2016



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 539067

12

गवाह- 1-हस्ताक्षर
प्रमोद कुमार शुक्ला पुत्र बाबूराम
निवासी ग्राम लमहरा तहसील अकबरपुर
जिला कानपुर देहात।
मो0नं0-9936064865



मुकिर

Radumna Varain Tripathi

गवाह-2- हस्ताक्षर
रामनरेश सिंह चौहान पुत्र श्री भारत सिंह
निवासी ग्राम कारीकलवारी तहसील अकबरपुर
जिला कानपुर देहात।
मो0नं0-9935189825



केतनी



टंकणकर्ता

विनय कुमार

विनय कुमार
ला0नं0- 17
तहसील अकबरपुर
जिला कानपुर देहात

प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

शैलेन्द्र कुमार
02/03/2016
Shailendra Kumar Savita
Advocate
Court Compound Akbarpur (K.D.)

शैलेन्द्र कुमार
एडवोकेट तहसील
कोर्ट कम्पाउण्ड
अकबरपुर कानपुरदेहात

शैलेन्द्र कुमार
Ch. Manager (P.O.)
Indian Oil Corporation Limited
Kangpur Divisional Office Panki, Kangpur-203 020



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 539068

13

बिक्रीत आराजी स्थित ग्राम गुटैहा तहसील अकबरपुर जिला कानपुर देहात।

नजरी नक्शा

उत्तर

विक्रीत रकबा 1.0610 हे० है।

पश्चिम

पूरब

दक्षिण

विक्रीत आराजी की चौहददी निम्न प्रकार है।

गाटा सं०- 179 की चौहददी निम्न प्रकार है।

पूरब में- गाटा सं०- 183 व 184

पश्चिम में- गाटा सं०- 178 व 180

उत्तर में- जगह नहरविभाग बादहू रुरा झीझक मार्ग।

दक्षिण में- ग्राम धनीरामपुर की सरहद।

गाटा सं०- 180, 185ख, 196 की चौहददी निम्न प्रकार है।

पूरब में- गाटा सं०- 179 बादहू अन्य आराजी

पश्चिम में- गाटा सं०- 181 बादहू अन्य आराजी

उत्तर में- गाटा सं०- 179 बादहू अन्य आराजी

दक्षिण में- गाटा सं०- 179 बादहू अन्य आराजी

तारीख तहरीर - 02 - 03 - 2016

ह० मुकिर

Prashant Kumar Tripathi

ह० केतनीगण

प्रभागीय वनाधिकारी

9

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

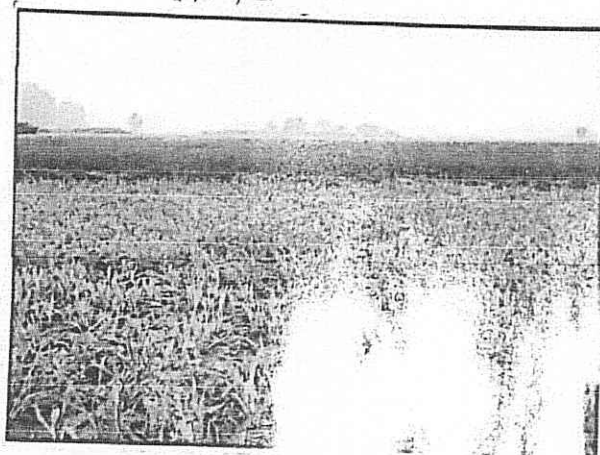
14

BB 355208

फोटो बिक्रीत आराजी स्थित ग्राम गुटैहा तहसील अकबरपुर जिला कानपुर देहात।

हाट 179

ग्रास 180, 185 रु, 196



ह0 विकेता

Rodamnu Narain Tripathi

ह0 केतनीगण

रु 2 शुकरा

प्रति दस्तावेज

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

होम क्लर्क / Homoclerk K...
मुख्य प्रबंधक (विकास) / Ch. Manager
विभाग वन्य वन्य वन्य / Indian Of...
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनको, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 920

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर देहात

पत्रांक: 815 / 1टी. /

दिनांक: 20/06/23

सेवा में,

जिलापूर्ति अधिकारी
कानपुर देहात।

विषय : यू0पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत रूरा-झींझक मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0 1 में चैनेज (0.445-0.481) गाटा संख्या-179 ग्राम गुटैया, थाना रूरा, परगना/तहसील अकबरपुर व जिला कानपुर देहात में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प (रिटेल ऑउटलेट) की स्थापना करने हेतु प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ : जिला पूर्ति का अधिकारी कानपुर देहात का पत्रांक 254/जि0पू0अ0/पे0उ0अनु0/2022 दिनांक 07.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि संदर्भित पत्र द्वारा खसरा संख्या-179 ग्राम गुटैया, थाना रूरा, परगना/तहसील अकबरपुर व जिला कानपुर देहात में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प (रिटेल ऑउटलेट) की स्थापना करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, कानपुर का पत्रांक 5410का0क्षे0/333का0क्षे0/का0वृ0/एन0ओ0सी0/23 दिनांक 16.06.2023 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रदान की गयी सहमति की छायाप्रति मानचित्र सहित इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित की जाती है कि पत्र में निहित शर्तों प्रतिबन्धों के आधीन उल्लिखित प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

पत्र दिनांक 16.06.2023 एवं मानचित्र मूल में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
कानपुर देहात

पत्रांक: / 1टी. /

दिनांक:

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियन्ता महोदय, कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, कानपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, कानपुर वृत्त, लो0नि0वि0, कानपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. प्रभारी सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर देहात को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रति हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग

कानपुर-देहात

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खसरा पिकर) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कानपुर प्रणाली कार्यालय पन्की, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
कानपुर देहात

कायालय मुख्य अभियन्ता,

कानपुर क्षेत्र, लो०नि०वि०, कानपुर।

पत्र संख्या:- 5410 का०क्षे०/333 का०क्षे०/का०वृ०/एन०ओ०सी०/23

दिनांक:- 16.06.2023

सेवा में,

✓ अधीक्षण अभियन्ता,
कानपुर वृत्त, लो०नि०वि०,
कानपुर।

विषय :- यू०पी० रोड साइड लैंड कन्ट्रोल एक्ट 1964 के अन्तर्गत रूरा झींझक मार्ग (आ०जि०मा०) के किमी० -1 (445-481) के दायीं तरफ गाटा संख्या -179, ग्राम गुटैया, थाना रूरा, तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर देहात में प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० रिटेल आउटलेट स्थापित/निर्माण किये जाने हेतु प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक-3135/73(1)सी-क०वृ०/23 दिनांक: 12.06.2023।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा यू०पी० रोड साइड लैंड कन्ट्रोल एक्ट 1964 के अन्तर्गत रूरा झींझक मार्ग (आ०जि०मा०) के किमी० -1 (445-481) के दायीं तरफ गाटा संख्या -179, ग्राम गुटैया, थाना रूरा, तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर देहात में प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० रिटेल आउटलेट स्थापित/निर्माण किये जाने हेतु प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में पुनः इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः आप द्वारा की गयी संस्तुति एवं अवगत करायी गयी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त रिटेल आउटलेट स्थापित/निर्माण किये जाने की प्राथमिक अनापत्ति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. उपरोक्त आउटलेट स्थापित/निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता ने प्रमाणित किया है कि ईंधन स्टेशन की बाउण्ड्रीवाल से इण्टरसेक्शन की दूरी (चेकलिस्ट-2 में) 427 मीटर तथा दो ईंधन स्टेशन के बीच की दूरी 300 मीटर से अधिक दर्शायी गयी है यदि इन दूरियों में कोई विचलन पाया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी तथा शासनादेश सं०-53/2022/1873-23-12-2022-1365/17टी०सी० लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 06.12.2022 के क्रम में रिटेल आउटलेट की अनुमति निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
2. रिटेल आउटलेट स्थापित करने की एन०ओ०सी० अधिशासी अभियन्ता के स्तर से निर्गत करने के पूर्व पुनः शासनादेश के अनुसार दर्शायी गयी दूरी का सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. शासनादेश सं०-53/2022/1873-23-12-2022-1365/17टी०सी० लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 06.12.2022 के अनुसार रिटेल आउटलेट की स्थापना सम्बन्धित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन रिटेल आउटलेट स्थापित किया जायेगा तथा स्थापना के पश्चात अन्तिम एन०ओ०सी० के उपरान्त ही उर्जीकृत किया जायेगा एवम् शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
4. उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(एन०ओ०सी० का प्रपत्र)

परिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

15.6.23
(श्री राज)
मुख्य अभियन्ता,

प्रतिलिपि - अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कानपुर देहात को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पत्रांक :- 11846 सी/73(1)सी-क०वृ०/23 दिनांक 16.06.2023

आ०जि०मा०, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कानपुर

देहात को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही मुख्य अभियन्ता
केतु प्रेषित।
कानपुर क्षेत्र, लो०नि०वि०,
कानपुर।

Superintending Engineer
Kannur Circle P.W.D.
Kannur

16/06/23

Office of Chief Engineer

Kanpur Zone, UP PWD, Kanpur

Letter No. :

Date :

No Objection Certificate in the Application for the permission for construction and use of approach/access roads for proposed Fuel Station of **Indian Oil Corporation LTD.** situated at, survey no, Gata No 179, Village Gutaiya, Tehsil Akbarpur at chainage 0.445-0.481 (RHS) of Rura-Jhinjhak road (ODR), in District Kanpur Dehat.

District Supply Officer, Kanpur Dehat vide letter no **254/G.P.A./P.U-Anu/2022** Dated **07.04.2022** has forwarded the above proposal for the issuance of NOC of UPPWD. The proposal by Executive Engineer, Provincial Division, PWD, Kanpur Dehat and recommended by Superintending Engineer, Kanpur Circle, PWD, Kanpur for issuance of Provisional Permission/NOC as per Existing Guidelines.

Authority after due considerations hereby approves "NOC for setting up fuel stations along UPPWD Roads-2022", Under provision of "Section-5" Uttar Pradesh Road Side land Act-1945" subject to following conditions.

1. After obtaining this 'Provisional approval, OIL Companies / Owner shall be responsible for the construction and maintenance of deceleration / acceleration lanes, service roads, channelizes, drainage arrangement; drinking water & toilet facilities, signs and making and other facilities in accordance with the approved layout and specifications conforming the Guidelines, at own cost.
2. On completion of the construction in accordance with checklist and conforming to the approvals, Completion Certificate shall be issued, by the Executive Engineer of PWD for approval of Competent Authority.
3. The concerned Oil Company would be allowed to energize the fuel station only after the final approval by Competent Authority. In the event fuel station is energized with out seeking Final approval (Final NOC) necessary action may be initiated against the applicant as per Guidelines of "Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD Roads-2022" including but not limited to cancellation of Provisional Permission for Acces.
4. The prescribed processing fees, license fee has been deposited by applicant and NSC no 020077745054 For Rs.250000/-issued by Post office Kanpur validity upto 01.06.2028 (towards successful completion of the access roads and installation of fuel station) has also been submitted by applicant.

अतिरिक्त अधिकारी

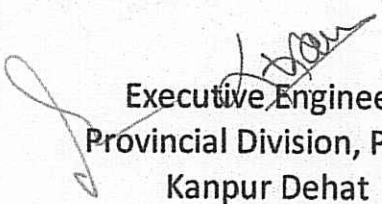


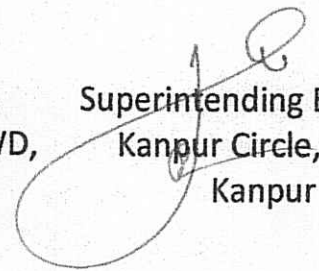
प्रभागीय वनाधिकारी

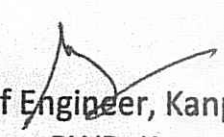
कानपुर-देहात वन प्रभाग

का देहात

5. In case the siting of proposed fuel station is not found in accordance with "Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD Roads-2022" and as per approved drawing, the permission shall stand cancelled and UPPWD shall not be responsible for any claim/damage/loss to the oil company or any concerned person.
6. The Guidelines contained "Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD Roads-2022" shall be followed strictly in setting up fuel station.
7. It shall be ensured by Executive Engineer to deposit the prescribed land use fee in state Govt revenue head as per Guidelines.
8. The Original land use Deed duly signed on each page by Oil company's authorized Officer and Executive Engineer shall be kept in zone office with a certified copy in Division and Circle Office.
9. It shall be ensured by the Division staff to inspect the fuel station regularly and in case of any defaults/deviations found, action will be taken as per Guidelines to get it rectified within 60 days from the date of Inspection. The failure to rectify the identified deficiency within prescribed time, the necessary action regarding De-energization shall be initiated.
10. The division shall enter details of In-principle Approved of NOC of Fuel station, issuance of completion certificate, and other necessary details of Fuel Stations in "Division Register of Fuel stations". The photographs and videos as per clause 3.1 of Guidelines shall be kept in records.
11. A copy of In-principle Approval of NOC of Fuel station shall be sent to Oil company by Registered Post/Speed post and on registered e-mail of Oil company with the instruction to energize the Fuel station only after obtaining Completion Certificate as per stipulated norms.


Executive Engineer,
Provincial Division, PWD,
Kanpur Dehat


Superintending Engineer,
Kanpur Circle, PWD,
Kanpur


Chief Engineer, Kanpur
Zone, PWD, Kanpur


प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

कानपुर

देहात।

पत्रांक: सीएफओ/ओप्रओ-रिओआओ/2022(05)

दिनांक: अप्रैल 28, 2022

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी,
कानपुर देहात।

विषय- गाटा संख्या-179 ग्राम गुटैया, थाना रूरा, तहसील अकबरपुर, कानपुर देहात में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपके पत्रांक-253/जिओपूओओ/पेओओ-अनुओ/2022 दिनांक: 07.04.2022

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके कम में गाटा संख्या-179 ग्राम गुटैया, थाना रूरा, तहसील अकबरपुर, कानपुर देहात में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं मानचित्र का अग्नि सुरक्षा एवं जीवस्था दृष्टिकोण से उपलब्ध करायी गयी स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक: 18.04.2022 का अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिशीलन किया गया, जिसके आख्या निम्न प्रकार है :-

1. प्रस्तावित स्थल 07.00 मीटर चौड़े रूरा से झींझक रोड पर स्थित है। जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते हैं।
2. वर्तमान समय में प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाइन नहीं है।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के भूखण्ड की माप 36 x 36 वर्गमीटर है।
4. रिटेल आउटलेट में आने जाने हेतु 02 मुख्यद्वार प्रस्तावित है जिनकी प्रत्येक की चौड़ाई 11.50 मीटर है तथा वफर स्ट्रिप का प्राविधान प्रस्तावित है।
5. मानचित्र में 20 केएल क्षमता का 01 एमएस अदद टैंक एवं 20 केएल क्षमता का 01 अदद एचएसडी टैंक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था:-

1. समस्त प्रस्तावित निर्माण कार्य एनओबीओसीओ-2016 एवं अन्य सम्बन्धित मानकों के अनुरूप कराया जाना आवश्यक होगा।
2. प्रस्तावित स्थल पर सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आईओएसओ-2148-1686 एवं आईओएसओ-5572 के मानकों के अनुरूप किया जाये तथा विद्युत वायरिंग में एमओसीओबीओ/ईओएलओसीओबीओ का प्राविधान किया जाय।
3. प्रत्येक टैंक के लिए अलग अलग वेन्टपाइप का प्राविधान किया जाय जो आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए एवं ऊँचाई 04 मीटर होनी चाहिए तथा उसके चारों ओर 04 मीटर तक कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
4. वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम-2002 एवं ओओआईओएसओडीओ-225 के मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
5. टैंक लारी से तेल ड्रेन करते समय अर्थिंग होना अति आवश्यक है।
6. लाइसेन्सिंग एरिया में जनसेट बाक्स के पास सभी लाइटें फ्लेमप्रूफ होनी चाहिए।
7. प्रत्येक डिस्पेंसर यूनिट पर इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।
8. पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण ओओआईओएसओडीओ के अनुसार होना आवश्यक है।
9. एओबीओसीओ फायर एक्सटिंग्यूशर 09 केओजीओ क्षमता का प्रत्येक डिस्पेंसिंग यूनिट पर 04 अदद व्यवस्थित किया जायेगा तथा एक अदद एओएफओएफओएफ ड्राली माउन्टेड 45 लीओ क्षमता की व्यवस्था आवश्यक है।
10. स्थल पर 02 अदद फायर जेल ब्लैकटों की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा।
11. जनरेटर रूम पर 09 केओजीओ क्षमता का एओबीओसीओ फायर एक्सटिंग्यूशर दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।
12. प्रत्येक लुब्रिकेंट स्टोर में एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर 09 केओजीओ क्षमता का एक तथा सीओओओटू टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 केओजीओ क्षमता का एक अदद लगाया जायेगा।
13. विस्फोटक अधिनियम एवं पेट्रोलियम नियमावली के उपबन्धों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

अग्निशमन अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

कानपुर-देहात वन प्रभाग

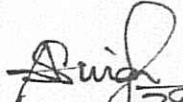
कानपुर-देहात

अग्निशमन अधिकारी
मुख्य प्रबंधक (अग्निशमन) / Ch. Manager (F.S.)
कानपुर देहात अग्निशमन विभाग / Kanpur District Fire Department
कानपुर देहात कार्यालय पार्क, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Park, Kanpur-208 020

14. भण्डारण प्रांगण में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, प्रतिक्रियाओं एवं उनके गुण-दोषों की जानकारी के साथ-साथ अग्निशमन उपकरणों के संचालन एवं रख रखाव की जानकारी होना आवश्यक है।
15. सैण्ड बकेट प्रति यूनिट दो-2 अदद स्टैण्ड पर व्यवस्थित किया जायेगा तथा प्रस्तावित स्थल पर 100 घनफुट बालू का रिजर्व स्टॉक रखा जायेगा।
16. मानचित्र पर अंकित 24 सुरक्षा विन्दुओं एवं अन्य विद्युत सुरक्षा निर्देशों को समायोजित करते हुए समस्त सुरक्षा व्यवस्थाओं का अनुपालन किया जायेगा।
17. धूम्रपान निषेध तथा आपातकालीन टेलीफोन नम्बर पट्टिका व्यवस्थित की जायेगी तथा धूम्रपान निषेध का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा जिसका अनुपालन आवश्यक होगा।
18. प्रस्तावित स्थल पर किसी भी ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थ का भण्डारण सर्वथा वर्जित होगा।

अतः उपरोक्तानुसार निर्देश/अनुबन्धों का पालन करने की शर्त के साथ प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की संस्तुति आख्या इस शर्त के साथ अग्रसारित की जाती है, कि रिटेल आउटलेट प्रारम्भ/संचालन करने से पूर्व, वर्णित अग्नि सुरक्षा एवं जीव रक्षा व्यवस्थाओं का सत्यापन अग्निशमन विभाग से कराकर, अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना जनहित में अनिवार्य होगा, अन्यथा निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र


 (सुरेन्द्र सिंह) 28/04/22
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
 कानपुर देहात।


 हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
 मुख्य प्रबंधक (पुर्तवा विभाग) / Ch. Manager (RQ)
 इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
 कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय पनौती, कानपुर-203 020
 Kanpur Divisional Office Pankti, Kanpur-203 020

उषा देवसारी

 प्रभागीन वनाधिकारी
 कानपुर-देहात वन प्रभाग
 कानपुर-देहात



ई-मेल:- rokanpurdehat@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

280, एन0एच0-19, रनियां, कानपुर देहात-209304

पत्रांक : 1025/NOC/S-71/22

दिनांक : 19/04/2022

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी
जनपद- कानपुर देहात।

विषय:- गाटा संख्या-179 ग्राम- गुटैया थाना-रूरा, तहसील- अकबरपुर, जनपद- कानपुर देहात पर न्यू रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

कृपया अपने पत्र सं0-248/जि0पू0अ0-पे0उ0-अनु0/2022 दिनांक-07.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम में प्रस्तावित स्थल की स्थलीय जाँच करायी गयी। निरीक्षण आख्या के अनुसार रिटेल आउटलेट का स्थल, गाटा संख्या-179 ग्राम- गुटैया थाना-रूरा, तहसील- अकबरपुर, जनपद- कानपुर देहात में स्थित है। रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में एम0एस0 (पेट्रोल) 1X20 कि0ली0, एवं एच0एस0डी0 (डीजल) 1X20 कि0ली0 टैंकों की स्थापना एवं भण्डारण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त इकाई को एम0एस0 (पेट्रोल) 1X20 कि0ली0, एवं एच0एस0डी0 (डीजल) 1X20 कि0ली0 टैंकों की स्थापना एवं भण्डारण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन संस्तुति की जाती है।

शर्त:-

1. रिटेल आउटलेट द्वारा पेट्रोलियम टैंको का भण्डारण प्रस्तावित स्थल के सन्निकट स्थित विद्युत लाइन से यथासंभव दूरस्थ तथा अग्निषमन विभाग के प्राविधानों के अनुरूप किया जाये।
2. रिटेल आउटलेट द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों का भण्डारण एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट की मार्गदर्शिका के अनुसार करना सुनिश्चित करेगा, तथा सुरक्षा हेतु अग्निषमन के समस्त वांछित उपाये कराना सुनिश्चित किया जाये।
3. रिटेल आउटलेट द्वारा आकस्मिक दुर्घटनाओं के बचाव हेतु ऑनसाइट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर इसका अनुमोदन सम्बन्धित विभाग से कराकर इस कार्यालय में 03 माह में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. रिटेल आउटलेट द्वारा डीजल/पेट्रोल के वाष्पन के नियंत्रण हेतु वेपर रिकवरी सिस्टम की स्थापना सुनिश्चित की जाए।
5. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु गाइडलाइन नं0-PCB/HO/HOW/RULES9/2019 Date- 24/02/20 का अक्षरः से अनुपालन किया जायेगा।
6. रिटेल आउटलेट द्वारा प्रस्तावित स्थल का भू-प्रयोग व्यवसायिक प्रयोग हेतु सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में एक माह में प्रस्तुत किया जाये।
7. पेट्रोल एवं डीजल के भण्डारण प्रक्रिया से कोई उत्पन्नवाह जनित नहीं किया जायेगा तथा घरेलू उत्पन्नवाह का शुद्धिकरण सेप्टिक टैंक/सोकपिट द्वारा बोर्ड मानकों के अनुरूप किया जायेगा।
8. बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिये गये समस्त आदेश/निर्देश व मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया जाये।
9. पेट्रोल एवं डीजल के भण्डारण स्थल के चारों तरफ कम से कम तीन मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया जाये।

भवदीय,

(जे0पी0 मौर्य)

क्षेत्रीय अधिकारी

मुख्यालय :- टी0सी0-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी

कानपुर-देहात वन प्रभाग

कानपुर-देहात

Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (सुपर विभाग) / Ch. Manager (SR)
प्रिया ऑफिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Priya Office Corporation Limited
कानपुर-मध्यस्थीय कार्यालय पन्की, कानपुर-209 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-209 020

Scanned by CamScanner

स्थल संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात के तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० कानपुर (रिटेल) टेरिटेरी द्वारा स्थल संयुक्त निरीक्षण ... 16/9/2013 ... किया गया। प्रस्तावित वन भूमि जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायीं पट्टी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) क्षेत्रफल कानपुर देहात वन प्रभाग में 0.2468 हे० है।

प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटेरी



हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (R&S) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर एग्रेगेशन ऑफिस पंकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF/ DFO.

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Indian Oil Corporation Ltd., Kalpi Road, Panki, Kanpur (UP).

For diversion (under FCA-1980) of **0.2468 Ha.** of Protected Forest Land for Non-Forestry purpose. The project envisages **Forest land proposed for Entry/Exit of IOCL Retail Outlet** on Rura-Jhinhak Road (ODR) in KM Stone No. 1 (Chainage no. 0.445 to 0.481 LHS) at Gata No. 179, Village- Gutaiya, Tahsil- Akbarpur, District- Kanpur Dehat. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated16/11/23....

User agency had proposed the alignment that involves forest area measuring **0.2468 ha. & 0 (Zero) Nos. trees** are affected.

Proposed Alignment is recommended.

1. On inspection of the site, it is found that the forest land required by the user agency measuring **0.2468 ha.** Stated in column 2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

2. Whether any rare/ endangered/unique species of flora and fauna is found in the area: **No rare/endangered/unique species of flora and fauna is found in the area.**

3. Whether any protected archaeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area: **Not any protected archaeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area.**

4. (a) **The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. (Yes)**

(b) It has been found that the user agency has violated the Forest (Conservation) Act, 1980 provisions. A detailed report as per para 1.9 of Chapter-1, Part-C of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached. **(No)**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

The proposal is recommended for approval.

Date:- 16-09-2023

Place:- Kanpur Dehat


(A.K. Dwivedi)
Divisional Forest Officer
Kanpur Dehat Forest Division
Kanpur Dehat प्रभाग
Office Seal
कानपुर देहात

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-दितीय/यू०पी०/1149/आर० ओ०

सी०/2012/एफ० सी०, दिनांक 13-01-2012

में उल्लिखित बिंदु सं० 02 व 03 से सम्बंधित सूचना

प्रस्तावक विभाग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायीं पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.2468 हे० में कुल शुल्क वृक्ष बाधक है।

प्रस्तावित स्थल का छायाचित्र



प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

C.S.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी

Hemant

हेमन्त कुमार / H. K. (RS)
मुख्य प्रबंधक (विदेश)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर मण्डलीय कार्यालय, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

CS

प्रभुजीवन वन्यजीविकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण
पत्र उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि टेरिटरी मैनेजर (रिटेल) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० कानपुर मंडलीय कार्यालय ,कालपी रोड पनकी, कानपुर द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायीं पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कानपुर देहात के कार्यालय में प्रेषित की जा चुकी है,प्राप्त होते ही पृथक से प्रेषित किया जायेगा ।


प्रमाणित वन अधिकारी
कानपुर देहात, वन प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी



हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा निर्यात) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मंडलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

FORM-I

(for plantations on non-forest land and notified as "protected forest" on or after 13th December 1930 and located in villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)

[Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector, Kanpur Dehat (U.P.)

No. 1194/14-1

Dated 13-10-2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) Second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that an area of **0.2468 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Indian Oil Corporation Limited for Entry/Exit Approach to Retail Outlet along with below roads ROW in the district falls within the jurisdiction of Kanpur Dehat Forest Division of Kanpur Dehat District at Rura-Jhinjhak Canal Road (ODR) in Km. No. 1 (between Ch. No. 0.445 to Ch. No. 0.481 LHS) at Gata No. 179, Village: Gutaiya in Akbarpur Tehsil having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011. It is further certified that:

- The Protected Forest namely Rura-Jhinjhak Canal Road (ODR) involved in the above village are plantations raised on non-forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification no. 4041/XIV dated 15-10-1954.
- Therefore these Protected Forest neither have residing Scheduled Tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (residing in the PF for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006.

9/12/10/23
(A.K. Dwivedi)
Divisional Forest Officer
Kanpur Dehat Forest Division
Kanpur Dehat
कानपुर-देहात

6
(Alok Singh)
District Collector/ Magistrate
Kanpur Dehat

वैकल्पिक भूमि से सम्बंधित प्रमाण पत्र

जनपद कानपुर देहात के अंतर्गत प्रस्तावक विभाग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायी पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रभावित सरंक्षित वन भूमि 0.2468 हे० पर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है आवागमन हेतु पहुँच मार्ग निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि कि मांग न्यूनतम है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी



हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (विदेशी) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय/कानपुर, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office (Panna), Kanpur-208 020

C.S.



प्रमाणित वन अधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात



कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायीं पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रभावित सरंक्षित मार्ग पटरी पर प्रवेश व निकास मार्ग का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

C.S.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी



हेमन्त कुमार Hemant Kumar
मुख्य प्रशासक, रिटेल, कानपुर (R.S.)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० (I.O.C. Corporation Limited)
कानपुर मण्डलीय कार्यालय, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office, Kanpur-208 020

प्रशासकीय व नागरिकी

कानपुर देहात प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

प्रमुख वन संरक्षक, उ० प्र० लखनऊ के पत्रांक-1017/23 कोर्ट केस

दिनांक - 11-11-2011 के क्रम में वांछित सूचना/प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायी पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.2468 हे०के अतिरिक्त अन्य कोई "वन स्वरूप" क्षेत्र चिन्हित नहीं है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी



हेमन्त कुमार Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (पेट्रोल) / Chief Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

C.S.



प्रभुभीषीय चमोधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फ़ोर्स की संस्तुतियों के मान्य होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायी पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण में योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फ़ोर्स की संस्तुतियों (जो भी मान्य हों), प्रयोक्ता एजेंसी को मान्य होगी।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

C.S.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी



हेमन्त कुमार/Hemant Kumar
मुख्य प्रशासक/Chief Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०/Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय/Regional Office Kanpur-208 020
Kanpur Divisional Office Parki, Kanpur-208 020



प्रमाणित/प्रमाणित
कानपुर देहात का प्रमाण/कानपुर देहात
कानपुर-देहात

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र
दिनांक 18-03-2010 में उल्लिखित बिंदुओं से सम्बंधित

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायीं पट्टी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.2468 हे० गैर वानिकी कार्य की अनुमति पत्र जारी होने के पश्चात पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग निर्माण कार्य करते समय भारत सरकार के पत्र दिनांक 18-03-2010 द्वारा जारी बिन्दुवार दिशा निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी



हेमन्त कुमार Hemant Kumar
मुख्य अधिकारी, कानपुर (रिटेल) (Manager (RS))
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय (Regional Office), कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

C.S.



प्रभागीय वन अधिकारी
कानपुर देहात वन विभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात



वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक एफ० एन०-11-268/2014

एफ० सी०, दिनांक 11.07.2014 की बिन्दुवार आख्या

प्रमाणित किया जाता है

1. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायी पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु पेट्रोल पम्प/ रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकासी मार्ग के मध्य बफर स्ट्रिप की दूरी 13.0 मीटर है तथा संपर्क मार्गों तथा सेपरेटर आईलैण्ड का क्षेत्रफल 0.2468 हे० है जो लोक निर्माण विभाग के द्वारा अनुमोदित है जो मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे के द्वारा दी गयी गाइडलाइन्स के अनुरूप है तथा यह मार्ग लोक निर्माण विभाग, कानपुर देहात के अधीन है।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायी पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल पर कोई वृक्षों का पातन नहीं किया गया है।
3. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/ रिटेल आउटलेट पर पार्किंग, शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें रेस्टोरेंट, दुकान आदि का प्राविधान नहीं किया गया है।
4. मार्ग का निर्माण या चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृत हेतु प्रक्रिया में है।
5. साइन बोर्ड स्थापित करते समय पटरी वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।
6. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प की दीवार से 1 से 1.5 मी० के मध्य वृक्षारोपण किया जायेगा।
7. विधिवत स्वीकृति जारी होने के पश्चात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा (CAMP) मद में जमा की गयी धनराशि से प्रतिपूरक वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०

कानपुर (रिटेल) टेरिटरी



हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (स्वयंसेवा) / Chief Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय कानपुर, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

C.S.



प्रशासकीय प्रमुख/प्रबंधक

कानपुर देहात, कानपुर प्रभाग, कानपुर देहात

कानपुर-देहात

उ० प्र० शासन की पत्र संख्या 7314/14.3.1980/82 वन अनुभाग-3, दिनांक 31.12.1984 द्वारा

निर्धारित मानक शर्तें

1. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा यह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी ।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा । अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं ।
3. याचक विभाग प्रस्तावित अथवा किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।
4. भूमि का सयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है ।
5. हस्तान्तरित विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बंधित अधिकारी द्वारा मुआवजे का भुगतान विभाग को करना होगा ।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बंधित वनाधिकारी के देखरेख में कराएगा तथा इसके सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा ।
7. हस्तान्तरित वन भूमि वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छदित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथा संभव प्रस्तावित न किया जाए केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा , परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति को एवं वन जन्तुओं के स्वच्छंद विचरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जाएगी ।
9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/ पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य परियोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी ।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियंता "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" के अतिरिक्त मुख्या अभियंता ,पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को संबोधित पत्र संख्या 608/ सी दिनांक 10.02.1982 में लिखित आदेशों का पालन भी "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेर-बदलकर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है ।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा द्रुत मूल्य सम्बंधित प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा ।

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग

कानपुर-देहात

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विलेज) / Ch. Manager (Rd)
भारत ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलाय कर्मचारी भवन, कानपुर-208 001
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 001

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ० प्र० वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित वन भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपड़ तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मी० एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बीच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विधुत लाइन से जाने में यथा संभव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी। जिस पर सम्बंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि का निर्माण में भू-रक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं कराएगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त दर्शायी जाती है तो याचक को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर दिया जाए अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

मैं, हेमंत सिंह, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, कानपुर (रिटेल) टेरिटरी (उत्तर प्रदेश) प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा उसका अनुपालन किया जायेगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०

कानपुर (रिटेल) टेरिटरी

हेमंत कुमार (अधुना विकल्प) / Ch. Manager (R&G)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पत्तिका, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

C.S.



प्रमाणित वन अधिकारी

कानपुर देहात वन विभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायीं पट्टी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश)में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रभावित सरंक्षित वन भूमि 0.2468 हे० में किसी प्रकार का मिटटी खुदान कार्य नहीं किया जायेगा। अतः प्रस्तावित परियोजना हेतु मक डिस्पोजल योजना अनुमन्य नहीं है।

Disposal/Management Plan

While preparing FCA case, if there is any activity in the project which involves digging of land, muck disposal/management plan has to be prepared.

Should Include:-

- | | |
|---|------|
| 1. Calculation of muck to be generated self factor has to be applied | N.A. |
| 2. Quantity of muck to utilized in the project activities | N.A. |
| 3. Balance quantity of muck. Which requires disposal/management plan? | N.A. |
| 4. Carriage of muck from the muck generation site in the dumping site. | N.A. |
| 5. Ownership of land and the consent of land owner, in case muck disposal on non forest land. | N.A. |
| 6. Photograph & carrying capacity of proposed dumping site (muck disposal site) | N.A. |
| 7. Development of dumping site-construction of retaining walls and other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down the muck. | N.A. |
| 8. Rehabilitation of dumping site like leveling planting of grass, shrubs and tree species. | N.A. |

After Construction work of approach road will be done

Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Details of dumping site including length, width and height of structures to be exacted must be mentioned.

Undertaking by the user agency has to be given to the effect that:

1. Muck management plan will be implemented by the user agency and in case of non implementation of the plan; they will be liable to penalty/action at their cost.
2. The proposed dumping site is located away from river/stream/nala.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिस्टरी



हेमन्त कुमार/Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा बिजली)/Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, कानपुर-208 020
कानपुर मण्डलीय कार्यालय, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office/Bank, Kanpur-208 020

C.S.



प्रभागीय वन अधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी, नेशनल पार्क तथा इको सेंसिटिव जॉन न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट के निर्माण में कानपुर देहात वन प्रभाग के अंतर्गत एवं कानपुर देहात वन प्रभाग के परिधि के 10 किमी० निकटतम दूरी तक कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी, एलीफैंट कोरिडोर एवं इको सेंसिटिव जॉन नहीं पड रहा है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

C.S.



इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (R.D.)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पंकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण में प्रस्तावित वन भूमि में प्राणी जगत की कोई दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०

कानपुर (रिटेल) टेरिटरी

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (R3)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर भाण्डारीय कार्यालय पन्की, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

C.S.



प्रभारणीय वनाधिकारी

कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात

कानपुर-देहात

वन्यजीवों और पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायी पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट की स्थापना के दौरान या स्थापना के बाद में प्रयोक्ता अभिकरण किसी भी वन्यजीव और पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

C.S.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात-वेन प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

हेमन्त कुमार/Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (रिटेल) /Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, Kanpur Division Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Kanpur, Kanpur-208 020

प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के आवागमन के किनारे खाली स्थानों पर
वृक्षारोपण सम्बंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायीं पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट के आवागमन के किनारे खाली स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु वचनबद्ध है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी



हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

C.S.



प्रमाणित वचनबद्धता प्रमाण पत्र
कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

एप्रोच रोड, सेप्रेटर आइसलैंड तथा अन्य खाली स्थान पर
वृक्षारोपण किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रिटेल आउटलेट की स्थापना के पश्चात् एप्रोच रोड, सेप्रेटर आइसलैंड तथा अन्य खाली पर प्रयोक्ता / संस्था द्वारा उपयुक्त प्रजातियों का वृक्षारोपण एवं उसका अनुरक्षण किया जायेगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०

कानपुर (रिटेल) टेरिटरी

अंतर्गत अधिकारी / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

C.S.



प्रभारी अधिकारी

कानपुर देहात क्षेत्र प्रभाग, कानपुर देहात

कानपुर-देहात

अपर मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन के पत्र संख्या 1560/81-2-2021-800 (94)/2017 के क्रम में
कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायीं पट्टी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में नए रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.2468 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० वचनबद्ध है कि उक्त प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण में बाधक वृक्षों का कम से कम पातन कार्य किया जायेगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

C.S.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा निगम) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पन्की, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा निगम) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पन्की, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

ENTIRE TREE TRANSPLANT (ETT) शर्त हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायीं पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.2468 हे० सरंक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा लगाई गयी ENTIRE TREE TRANSPLANT (ETT) शर्त का अनुपालन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबाध्य है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी



हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

C.S.



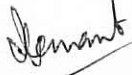
प्रशासकीय अधिकारी
कानपुर देहात प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ०एन० 5-3/2011-एफ०सी० (Vol-1) दिनांक 06-01-2022 & 19-01-2022 द्वारा 30 वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तांतरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निधारित नेट वैल्यू (एन०पी०वी०) और बढ़ी दरों के अनुसार धनराशि को इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMP) वन विभाग उत्तर प्रदेश को ई-पोर्टल से ई-चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०

कानपुर (रिटेल) टेरिटरी

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (R&D)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर भाण्डारी कार्यालय पंजी, कानपुर-209 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-209 020

C.S.



प्रभावित वन अधिकारी
कानपुर देहात देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि की गणना

इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झींझक मार्ग के कि०मी० सं०- 1 में (चैनेज सं०- 0.445-0.481 के मध्य) बांयों पटरी पर गाटा संख्या-179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु पहुंच मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.2468 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र संख्या 5-3/2011-एफसी दिनांक 06.01.2022 के द्वारा पुनरीक्षित दरों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना निम्न है -

1. प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल : 0.2468 हे०
2. प्रभावित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व : 0.4
3. प्रभावित वन भूमि का Eco Class : III
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र संख्या 5-3/2011-एफसी दिनांक 06.01.2022 के द्वारा पुनरीक्षित दरों के अनुसार उपरोक्त Eco Class एवं वानस्पतिक घनत्व वाली भूमि की शुद्ध वर्तमान दर : रू० 12,28,590/- प्रति हे०
5. प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य : रू० 12,28,590/- प्रति हे० x 0.2468 हे०

रू० 303216.01

अथवा

रू० 303216.00

(रू० तीन लाख तीन हजार दो सौ सोलह मात्र)

उपरोक्त धनराशि इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा देय होगी। भविष्य में यदि उक्त दर में बढ़ोत्तरी होगी तो तदानुसार धनराशि देय होगी।

(ए०के० द्विवेदी)

प्रभागीय वन अधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

आशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

प्रस्तावित वन भूमि के एन०पी०वी० के संशोधन के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि
के भुगतान की वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पंप/रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग निर्माण से प्रभावित 0.2468 हे० सरंक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु मांग की गयी एन० पी० वी० की धनराशि की दर से भविष्य में भारत सरकार द्वारा/ सक्षम स्तर से बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा किया जायेगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०

कानपुर (रिटेल) टेरिटरी

नरेश कुमार (चुनवा विभाग) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

C.S.



प्रभागीय वन अधिकारी

कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

प्रमाण पत्र

मैं प्रतिपूरक वनीकरण तथा उसके अनुरक्षण और / या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण के लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु जो शर्तें भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा लगाई जायेगी मैं उसका अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०

कानपुर (रिटेल) टेरिटरी

मुख्य प्रबंधक (युद्ध विभाग) / Ch. Manager (C.S.)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनसो, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

C.S.



प्रभागीय वनाधिकारी

कानपुर देहात क्षेत्राधिकार, कानपुर देहात

कानपुर-देहात

दण्डात्मक वृक्षारोपण हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० कानपुर मंडलीय कार्यालय, कालपी रोड पनकी, कानपुर द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायीं पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.2468 हे०के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण किसी नियम / शर्त का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में दण्डात्मक वृक्षारोपण पर भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त के अनुसार व्यय वहन करने के लिए वचनबद्ध है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी



हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (रिटेल) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मंडलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

C.S.

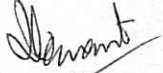


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात वन-प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

प्रतिपूरक वनीकरण करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता के रूप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा उक्त सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य या भारत सरकार या मा० न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन भी किया जायेगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०

कानपुर (रिटेल) टेरिस्ट्री
हेनरी कुमार / Prasant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-203 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-203 020

C.S.



प्रभारिता प्रमाणित करी

कानपुर देहात वन विभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

क्षतिपूरक वनीकरण करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता के रूप में इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा उक्त सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य या भारत सरकार या मा० न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन भी किया जायेगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०

कानपुर (रिटेल) टेरिटरी

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (R)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पंजी, कानपुर-205 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-205 020

C.S.



प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी

कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर देहात

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक धनराशि

जनपद कानपुर देहात में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा रूरा-झींझक मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर कि०मी० संख्या 01 में (चेनेज सं० 0.445-0.481 के मध्य) की बाँयीं पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण से प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.2468 हे० के स्थान पर प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दोगुनी अवनत वनभूमि अर्थात् 0.4936 हे० पर 1000 पौधे प्रति हे० की दर से कुल 494 पौधों का अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य हेतु 0.4936 हे० अवनत वनभूमि का कानपुर देहात वन प्रभाग के अन्तर्गत भोगनीपुर रेन्ज में दिवैर वन ब्लॉक का चयन किया गया है। जिसमें कंजी, नीम, अर्जुन, शीशम आदि पौधों का रोपण प्रस्तावित है।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु (प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष) अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक जी-152/15-1 (सीलिंग दर) दिनांक 30.01.2023 द्वारा जारी सीलिंग दर के अनुसार तथा वृक्षारोपण अनुरक्षण (तृतीय वर्ष से द्वादश वर्ष तक) की आवश्यक धनराशि मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश कैम्पा, लखनऊ के पत्रांक 999/2-37-2 (सीलिंग दर), दिनांक 17.02.2021 से जारी सीलिंग दर के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया गया है, जो निम्नानुसार प्रस्तुत है-

भूमि का प्रकार - बीहड़

पौधों की संख्या - 494

प्रति हे० पौध - 1000

श्रम दर - ₹० 201.00 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	वर्ष	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा (हे० में)	दर (₹० में) श्रम दर ₹० 201.00 प्रति मानव दिवस के अनुसार	तृतीय वर्ष एवं आगामी वर्षों में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के अनुसार दर (₹० में)	कुल धनराशि (₹० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	प्रति हे०	0.4936	45100.00	0	22261.36
2	द्वितीय वर्ष	वृक्षारोपण कार्य	प्रति हे०	0.4936	25900.00	0	12784.24
3	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	16100.00	17710.00	8741.66
4	चतुर्थ वर्ष	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	15729.00	18875.00	9316.70
5	पंचम वर्ष	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	16537.00	21498.00	10611.41
6	षष्ठम वर्ष	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	6611.00	9255.00	4568.27
7	सप्तम वर्ष	पंचम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	8509.00	12764.00	6300.31
8	अष्टम वर्ष	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	5993.00	9589.00	4733.13
9	नवम वर्ष	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	5993.00	10188.00	5028.80
10	दशम वर्ष	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	1408.00	2534.00	1250.78
11	एकादश वर्ष	नवम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	1408.00	2675.00	1320.38
12	द्वादश वर्ष	दशम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	1408.00	2816.00	1389.98
योग							88307.02
(₹० अट्ठासी हजार तीन सौ सात मात्र) अथवा							88307.00

(ए०के० द्विवेदी)

प्रभारी वन अधिकारी

कानपुर देहात वन प्रभाग

कानपुर देहात

आशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक जी-152/15-1(सीलिंग दर), दिनांक, लखनऊ, जनवरी 30, 2023.

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक-जी-93/15-1(सीलिंग दर), दिनांक 30-09-2020 द्वारा सामान्य, बीहड़ तथा पठारी भूमि पर प्रति हे० 1100 पौध तथा ऊसर भूमि पर प्रति हे० 2000 पौध का वानिकी कार्यों से सम्बन्धित सीलिंग दर निर्गत किया गया है।

वर्तमान में बढ़ते प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन पर प्रभावी नियंत्रण के लिये वनावरण एवं हरीतिमा को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। प्रदेश में वृक्षारोपण हेतु भूमि की सीमित उपलब्धता तथा अधिक से अधिक बायोमास, जैवविविधता संवर्धन तथा जलवायु परिवर्तन शमन के लिये ज्यादा से ज्यादा कार्बन अवशोषण हेतु वनावरण/वृक्षारोपण में त्वरित वृद्धि कर अल्प समय में वन की स्थापना के दृष्टिगत वर्तमान में प्रचलित माडल तथा सीलिंग दर पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त उपरोक्त के आलोक में समिति द्वारा निम्नानुसार संस्तुति की गयी :-

- (अ) सामान्य भूमि पर 2.5 X 2.5 मी० की स्पेसिंग पर प्रति हे० 1600 पौधों का रोपण।
(ब) ऊसर क्षेत्र में 2 X 2 मी० की स्पेसिंग पर प्रति हे० 2500 पौधों का रोपण।
(स) बीहड़ तथा पठारी भूमि पर 1600 पौधों का रोपण (400 गड्ढों पर पौध रोपण व 400 बोना नाली पर बीज बुआन द्वारा 1200 पौधों की स्थापना)।

समिति द्वारा श्रमिकों की मजदूरी रु० 201/- प्रति मानव दिवस के आधार पर वानिकी कार्यों के सीलिंग दर (संलग्न माडल के अनुसार) को निम्न प्रकार पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति के कम में पुनरीक्षित सीलिंग दरें निम्न प्रकार हैं :-

क्र० सं०	वृक्षारोपण का प्रकार	प्रति हे० पौध सं०	चरणवार धनराशि का विवरण (धनराशि ₹ में)				योग
			प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)	द्वितीय चरण (वृक्षारोपण)	तृतीय चरण (अनुरक्षण प्रथम)	चतुर्थ चरण (अनुरक्षण द्वितीय)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सामान्य भूमि	1600	38200.00	35900.00	21100.00	7700.00	102900.00
2	बीहड़ भूमि	1600	45100.00	25900.00	19100.00	7400.00	97500.00
3	पठारी भूमि	1600	47800.00	23600.00	18700.00	7400.00	97500.00
4	ऊसर भूमि	2500	68500.00	61500.00	23600.00	6000.00	159600.00

- 1-रोपण में क्षेत्र विशेष के कृषि-जलवायु के अनुरूप उपयुक्त प्रजातियों का चयन करते हुये स्वस्थ पौधों का ही रोपण किया जाय तथा रोपण के समय पौधों की ऊंचाई मानक के अनुरूप रखी जाये।
- 2-वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु सामान्य, ऊसर व बीहड़ भूमि के प्रथम चरण में सुरक्षा खाई तथा पठारी भूमि में पत्थरवाड़ी का कार्य सम्मिलित है।
- 3-ऊसर भूमि में वृक्षारोपण की दरों में प्रथम चरण में बोरिंग कार्य (10 हे० पर 1 बोरिंग) व सिंचाई हेतु प्लास्टिक पाइप कय एवं जिप्सम तथा द्वितीय चरण में गोबर की खाद व बालू सम्मिलित है।
- 4-बीहड़ भूमि की दरों में भूमि संरक्षण का कार्य प्रथम चरण में सम्मिलित है।
- 5-तृतीय चरण में 10 प्रतिशत वीटिंग अप का कार्य सम्मिलित है।
- 6-सीलिंग दरों में पौध उगान व अनुरक्षण का व्यय सम्मिलित है।
- 7-वित्तीय नियमों के अन्तर्गत क्षेत्रीय वन संरक्षकों को अपने वृत्त के अन्तर्गत अनुसूचित दरों के निर्धारित अनुसूचित दरों का निर्धारण कर उपरोक्त दरों का संज्ञान लेते हुए निर्धारित सीलिंग सीमा के अन्तर्गत, जो दर कम हो, उसी के अनुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय करने की कार्यवाही की जाय।

प्रभागीय वनाधिकारी

कानपुर-देहात

8-किसी विशेष योजना में प्रतिबन्ध के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में यान्त्रिकीय विधि से कार्य इन्हीं सीलिंग दरों में कराया जा सकता है।

9-उक्त सीलिंग दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

10-भूमिवार वृक्षारोपण के प्रति हेक्टेयर व्यय का माडल संलग्न है।

11-उक्त आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अनुमोदन के उपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
(संजय श्रीवास्तव) 30/11

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
30/11/23

संख्या- जी- 152 /15-1,(सीलिंग दर), दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
- 3-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, अनुसंधान व प्रशिक्षण, मूल्यांकन और कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश।
- 4-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5-समस्त जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव सहित), उत्तर प्रदेश।
- 6-मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, क्षतिपूर्ति, वनीकरण निधि एवं नियोजन प्राधिकरण (कैम्पा), उत्तर प्रदेश।
- 7-समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 8-समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 9-गार्ड बुक।

(संजय श्रीवास्तव) 30/11

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
30/11/23

संख्या- जी- 152 /15-1,(सीलिंग दर), दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय श्रीवास्तव) 30/11

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
30/11/23

प्रतिष्ठित सति

9

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग

कानपुर-देहात

आशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava
प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
भारत वन संरक्षण निगम लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

बीहड़ क्षेत्रों में वृक्षारोपण की प्रति हेक्टेयर सीलिंग दर
(प्रति हे० 1600 पौध) मजदूरी रु० 201/प्रतिदिन (2.5x2.5)मी० (स्पेसिंग)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर			घनराशि (रु० में)		
				सामग्री	श्रमांश	योग	सामग्री	श्रमांश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)									
1	सर्वेक्षण सीमांकन कार्य	हे०	1	0.00	52.24	52.24	0.00	52.24	52.24
2	क्षेत्र की सफाई, (लैन्टाना, आइपोनिया, झाड़ी का कटान आदि सहित)		1	0.00	1025.03	1025.03	0.00	1025.03	1025.03
3	पवित्र बंधन/निशान देही कार्य						0.00	0.00	
	क-गड्ढे	प्रति	400	0.02	0.33	0.35	8.00	133.24	141.24
	ख-बुआई नाली/रिज	प्रति	400	0.06	0.92	0.98	24.00	367.55	391.55
	ग-सुरक्षा खाई	मी०	150	0.02	0.47	0.49	3.00	70.64	73.64
4	गड्ढा खुदान कार्य 0.45X0.45X0.45 मी०	प्रति	400	0.00	8.04	8.04	0.00	3216.08	3216.08
5	सुरक्षा खाई खुदान कार्य (ऊपरी ऊँचाई 1.20 मी०Xआधार 0.80मी०X ऊँचाई 1.00 मी०)	मी०	150	0.00	82.38	82.38	0.00	12356.64	12356.64
6	बुआई नाली का खुदान कार्य 3.00X0.80X0.45 मी०	मी०	400	0.00	45.01	45.01	0.00	18005.45	18005.45
7	बन्धों का निर्माण एवं प्लकिंग सम्बन्धी कार्य	प्रति घनमी०	100	0.00	50.25	50.25	0.00	5025.13	5025.13
8	निरीक्षण मार्ग का निर्माण						0.00	0.00	
	क-3 मीटर चौड़ा मार्ग	प्रति मीटर	50	0.00	15.68	15.68	0.00	783.92	783.92
	ख-1 मीटर चौड़ा मार्ग	प्रति मीटर	100	0.00	3.50	3.50	0.00	350.32	350.32
9	सुरक्षा खाई पर बीज बुआन हेतु बीज का मूल्य		1	181.91	0.00	181.91	181.91	0.00	181.91
10	बुआई नाली पर बीज बुआन हेतु बीज का मूल्य		1	970.20	0.00	970.20	970.20	0.00	970.20
11	पौध उगान पर व्यय 6 प्रतिशत अतिरिक्त (2 प्रतिशत क्षति पौधशाला में तथा 3 प्रतिशत क्षति बुलान में)						0.00	0.00	
	क-थेली पौध (80 प्रतिशत)		336	1.00	3.04	4.04	336.00	1022.71	1358.71
	ख-पिण्डी पौध 20 प्रतिशत		84	1.08	5.02	6.10	90.72	421.63	512.35
12	अन्य व्यय (औजारों का क्रय) 2 प्रतिशत		1				400.00	260.00	660.00
			योग	1154.29	1291.92	2446.212	2013.83	43090.58	45104.41
			अथवा						45100

अशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited,
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

क्र० सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर			घनराशि (रु० में)		
				सामग्री	श्रमांश	योग	सामग्री	श्रमांश	योग
द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)									
1	गड्ढों का भरान कार्य		400	0	0.80402	0.80402	0	321.608	321.608
2	सुरक्षा खाई पर दो लाइनों में बीज बुआन कार्य	प्रति मीटर	150	0	4.99641	4.99641	0	749.4615	749.4615
3	बुआई नाली/रिजों पर बीज बुआन	प्रति	400	0	8.0402	8.0402	0	3216.08	3216.08
4	क्रीटनाशक दवा का क्रय तथा मिलाना	प्रति	400	0.24	0.14932	0.389318	96	59.7272	155.7272
5	पौध उगान पर व्यय 5 प्रतिशत अतिरिक्त (2 प्रतिशत क्षति पौधशाला में तथा 3 प्रतिशत क्षति डुलान में)					0	0	0	
	क-थैली पौध	प्रति	336	0.1	1.43575	1.53575	33.6	482.412	516.012
	ख-पिण्डी पौध	प्रति	84	0.16	3.76741	3.927408	13.44	316.4623	329.9023
6	पौधशाला में पिण्डी खुदान व बंधवाई मय घास का मूल्य सहित	प्रति	84	0.2	4.50251	4.702512	16.8	378.211	395.011
7	पौधों का डुलान (3 प्रतिशत अतिरिक्त औसत 30 किमी०)								
	क-थैली पौध	प्रति	330	0.94	0.14932	1.089318	310.2	49.27494	359.4749
	ख-पिण्डी पौध	प्रति	82	1.57	0.14932	1.719318	128.74	12.24408	140.9841
8	पौधों का स्थानीय डुलान								
	क-थैली पौध	प्रति	320	0	0.34458	0.34458	0	110.2656	110.2656
	ख-पिण्डी पौध	प्रति	80	0	0.37904	0.379038	0	30.32304	30.32304
9	पौधारोपण सिंचाई व थाला बनाना								
	क-थैली पौध	प्रति	320	0	4.81263	4.812634	0	1540.043	1540.043
	ख-पिण्डी पौध	प्रति	80	0	5.62814	5.62814	0	450.2512	450.2512
10	पौधों की निराई-गुड़ाई 2 बार (400X2)	प्रति	800	0	1.28643	1.286432	0	1029.146	1029.146
11	पौधों की सिंचाई 2 बार	प्रति	800	0.34	0.80402	1.14402	272	643.216	915.216
12	बुआई नाली (रिज) की निराई-गुड़ाई (400X2)	प्रति	800	0	8.0402	8.0402	0	6432.16	6432.16
13	रोपावनी क्षेत्र में वर्ष में एक बार पौधों की लाइन में एक मी० घास कटाई	हे०	1	0	852.169	852.1693	0	852.1693	852.1693
14	बन्धों पर मूज घास/अंगिर/कटिंग लगाना आदि	हे०	1	0	201	201	0	201	201
15	बन्धों की मरम्मत (8 प्रतिशत)	घन मी०	8	0	50.4235	50.42354	0	403.3883	403.3883
16	वृक्षारोपण श्रमिक पर व्यय (8 हे०)	प्रति	34.25	0	201	201	0	6884.25	6884.25
17	वृक्षारोपण बोर्ड	प्रति	1/10	2910.6	0	2910.6	291.6	0	291.06
18	रासायनिक खाद का छिड़काव मूल्य सहित	प्रति	400	0.19	0.12635	0.316346	76	50.5384	126.5384
19	अन्य व्यय 2 प्रतिशत	हे०	1			0	290	195	485
		योग		2914.34	1350.01	4264.348	1528.38	24407.23	25935.07
		अथवा							25900

आशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

क्र० सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर			धनराशि (रु० में)		
				सामग्री	श्रमांश	योग	सामग्री	श्रमांश	योग
तृतीय चरण (अनुसंधान कार्य प्रथम वर्ष)									
1	पौधों की निराई-गुड़ाई (2 बार) 400X2	प्रति	800	0.00	1.29	1.29	0.00	1029.15	1029.15
2	बुआई नाली (रिजों की निराई गुड़ाई 2 बार 400X2	प्रति नाली	800	0.00	8.04	8.04	0.00	6432.16	6432.16
3	सिंचाई दो बार	प्रति पौध	800	0.34	0.80	1.14	272.00	643.22	915.22
4	मृत पौधों के स्थान पर पुनः पौध रोपण हेतु पौध उगान पर व्यय 10 प्रतिशत (5 प्रति अतिरिक्त)	प्रति पौध	42	1.58	9.81	11.39	66.36	411.98	478.34
5	पौध डुलान 1 से 20 किमी०	प्रति पौध	42	1.57	0.15	1.72	65.94	6.27	72.21
6	पौध का स्थानीय डुलान	प्रति पौध	40	0.00	0.38	0.38	0.00	15.16	15.16
7	पौध रोपण, सिंचाई व थाला बनायी	प्रति पौध	40	0.00	5.63	5.63	0.00	225.13	225.13
8	वृक्षारोपण श्रमिक पर व्यय (8 हे० पर एक)		45.625	0.00	201.00	201.00	0.00	9170.63	9170.63
9	बन्धों की मरम्मत (5 प्रतिशत)	प्रति घनमी०	5.00	0.00	50.42	50.42	0.00	252.12	252.12
10	कीटनाशक दवा का क्रय तथा मिलाना	प्रति हे०	400	0.24	0.15	0.39	96.00	59.73	155.73
11	अन्य व्यय (झोपड़ी की मरम्मत) प्रतिशत						170.00	170.00	340.00
			योग	3.73	277.67	281.40	670.30	18415.53	19085.83
			अथवा						19100.00
चतुर्थ चरण (वृक्षारोपण अनुसंधान कार्य-द्वितीय वर्ष)									
1	पौधों की सिंचाई 1 बार	प्रति पौध	400	0.34	0.80	1.14	136.00	321.61	457.61
2	पौधों की निराई-गुड़ाई (एक बार) 400 X 1	प्रति पौध	400	0.00	1.29	1.29	0.00	514.57	514.57
3	बुआई नाली की निराई गड़ाई (एक बार) 400X1	प्रति नाली	400	0.00	8.04	8.04	0.00	3216.08	3216.08
4	वृक्षारोपण श्रमिक पर व्यय (8 हे० पर एक)	प्रति दिन	15.25	0.00	201.00	201.00	0.00	3065.25	3065.25
5	अन्य व्यय (बन्धे की मरम्मत) 2 प्रतिशत						150.00		150.00
			योग	0.00	211.13	210.33	286.00	7117.51	7403.51
			अथवा						7400.00
नोट	तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण पर उपरोक्त व्यय वृक्षारोपण की सफलता के अनुरूप देय होगा।								
बोहड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण पर कुल व्यय (सीलिंग) प्रति हेक्टेअर									
प्रथम चरण			45100.00						
द्वितीय चरण			25900.00						
तृतीय चरण			19100.00						
चतुर्थ चरण			7400.00						
कुल व्यय			97500.00						

10

म

य

परीक्षार्थी

आशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava
मुख्य अधिकारी (खुदरा विक्रय) / Ctr. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

प्रभारी वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ
पत्रांक- ९९९ /2-37-2 (सीलिंग दर) दिनांक, लखनऊ फरवरी: 17, 2021

कार्यालय आदेश

भारत सरकार के पत्रांक-1/वन/आर०ओ०सी०/95-2011/भाग-5/1225 दि० 22.01.2013 में निर्देश दिये गये हैं कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तावों में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण में वृक्षों के रख-रखाव का समय 5 वर्ष के स्थान पर 7 से 10 वर्ष तक वृक्षारोपण में लगाये गये वृक्षों का रख-रखाव किया जायेगा, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० के पत्रांक 1190/11-सी० सामान्य दिनांक 28.01.2013 द्वारा प्रचालित की गयी है। भारत सरकार के पत्रांक-1/वन/आर०ओ०सी०/95-2011/भाग-5/1225 दिनांक 22.01.2013 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्रांक 1190/11-सी० सामान्य दिनांक 28.01.2013 तथा पत्रांक 1819/1सी-क्षतिपूर्क वनीकरण दिनांक 01.04.2015 द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में उ०प्र० कैम्पा कार्यकारिणी समिति की 19वीं बैठक दिनांक 10.07.2015 एवं 21वीं बैठक दिनांक 28.08.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार कैम्पा से कराये जा रहे वृक्षारोपणों का रख-रखाव सात से दस वर्षों (वृक्षारोपण वर्ष को सम्मिलित करते हुए) तक किया जाना है। विभिन्न वृक्षारोपणों मॉडल हेतु मजदूरी दर रू० 201/- प्रति दिन के आधार पर वर्षवार अनुरक्षण की सीलिंग दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

(दर प्रति है०) (धनराशि रुपये में)

क्र० सं०	विवरण	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	पंचम वर्ष अनुरक्षण	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	नवम वर्ष अनुरक्षण
1	सामान्य भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपण	17400	15756	16564	6632	8530	5993	5993	1408	1408
2	ऊसर भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपण	20800	20235	21043	6737	10187	5993	5993	1408	1408
3	बीहड़ भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपण	16100	15729	16537	6611	8509	5993	5993	1408	1408
4	पटारी भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपण	15800	15853	16661	6735	8633	5993	5993	1408	1408
5	सामान्य, ऊसर एवं पटारी क्षेत्रों में ब्लाक वृक्षारोपण में 8 से 12 फुट पौध के रोपण का आर०सी०सी० खम्बे व कांटेदार तार से घेरबाड़/सुरक्षा खाई/पत्थरबाड़ी आदि सहित (सिंचाई हेतु बोरिंग का प्राविधान) (प्रति है० 625 पौध)									
	1) सुरक्षा खाई/पत्थरी बाड़ी									
	अ- सामान्य	28600	24519	15350	6428	6428	5785			
	ब- ऊसर	28600	24680	15511	6589	6589	5785			
	स- पटारी	28600	24599	15431	6509	6509	5785			
	2) कांटेदार तार से घेरबाड़ आरसीसी पिलर सहित									
	अ- सामान्य	28600	24513	15344	6422	6422	5785			
	ब- ऊसर	28600	24513	15344	6422	6422	5785			
	स- पटारी	28600	24513	15344	6422	6422	5785			
6	सामान्य, ऊसर एवं पटारी क्षेत्रों में ब्लाक वृक्षारोपण में 8 से 12 फुट पौध के रोपण का आर०सी०सी० खम्बे व कांटेदार तार से घेरबाड़/सुरक्षा खाई/पत्थरबाड़ी आदि सहित (ट्रैक्टर द्वारा सिंचाई) (प्रति है० 625 पौध)									
	1) सुरक्षा खाई/पत्थरी बाड़ी									
	अ- सामान्य	44600	35369	19444	6428	6428	5785			
	ब- ऊसर	44600	35530	19605	6589	6589	5785			
	स- पटारी	44600	35449	19524	6509	6509	5785			
	2) कांटेदार तार से घेरबाड़ आरसीसी पिलर सहित									
	अ- सामान्य	44800	35363	19438	6422	6422	5785			
	ब- ऊसर	44800	35363	19438	6422	6422	5785			
	स- पटारी	44800	35363	19438	6422	6422	5785			

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

क्र० सं०	विवरण	प्रथम वर्ष अनुसंधान	द्वितीय वर्ष अनुसंधान	तृतीय वर्ष अनुसंधान	चतुर्थ वर्ष अनुसंधान	पंचम वर्ष अनुसंधान	षष्ठम वर्ष अनुसंधान	सप्तम वर्ष अनुसंधान	अष्टम वर्ष अनुसंधान	नवम वर्ष अनुसंधान
7	आर०सी०सी० गार्ड में किए जा रहे वृक्षारोपण (प्रति आर०सी०सी० गार्ड)	202.36	135.37	53.04	14.17	14.17	14.17			
8	ब्रिकगार्ड में किए जा रहे वृक्षारोपण (प्रति ब्रिकगार्ड)	412.00	335.04	53.04	14.17	14.17	14.17			
9	मार्ग के किनारे पंक्ति वृक्षारोपण (तारबाड़-आर० सी०सी० खम्भे व कांटेदार तार) प्रति हे० 625 पौध	45500	35786	19881	6885	6885	5785			
10	बहुपंक्ति वृक्षारोपण (तारबाड़) प्रति हे० 1100 पौध	46880	37011	19623	8991	7093	5993	5993		
11	बहुपंक्ति वृक्षारोपण (तारबाड़) प्रति हे० 1266 पौध	47522	37439	19837	9277	7093	5993	5993		
12	खोला भूमि (1100 पौधे) में किए जा रहे वृक्षारोपण	17400	15756	16564	6632	8530	5993	5993	1408	1408
13	खादर भूमि (1600 पौधे) में किए जा रहे वृक्षारोपण	21130	18186	18994	6632	9392	5993	5993	1408	1408
14	खादर भूमि (2000 पौधे) में किए जा रहे वृक्षारोपण	24123	20130	20938	6632	10082	5993	5993	1408	1408
15	खुले (Open) क्षेत्र में वृक्षारोपण अनुसंधान हेतु सुरक्षा के दृष्टिगत 4 हे० पर एक श्रमिक मानते हुए अनुसंधान का आकलन (प्रति पौध)	24.43	22.66	23.39	10.20	11.92	9.62	9.62	1.28	1.28

सीलिंग दरों के अन्तर्गत वर्षवार मदवार प्रस्तावित कार्यमदों का विवरण संलग्नक-1 से 15 में दिये गये विवरणानुसार ही रहेगा। वृक्षारोपणों के अनुसंधान कार्य निम्न बिन्दुओं/प्रतिबन्धों का संज्ञान लेकर किया जायेगा:-

1. प्रत्येक वृक्षारोपण स्थल पर रोपित पौधों के सापेक्ष जीवित पौधों की प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार गणना वर्ष में दो बार जून एवं दिसम्बर माह की अन्तिम तिथि के आधार पर अनिवार्य रूप से करायी जायेगी एवं गणना पंजिका का रख-रखाव विधिवत किया जायेगा।
2. समस्त व्यय वृक्षारोपण की सफलता के अनुरूप देय होगा एवं वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (Wage) भी वृक्षारोपण की सफलता से लिंक (Link) रहेगा।
3. अन्य व्यय के अन्तर्गत अग्निरोधक उपाय, वृक्षारोपण के फोटोग्राफ, जी०पी०एस० पॉलीगन फाइल बनाना, आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण बोर्ड की पुनः पेंटिंग, बीहड़ क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत

E:\SOR\SOR Office Order Lt..Docx

आशु श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर माल भंडारण कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Office Panki, Kanpur-208 020

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

इत्यादि व्यय सम्मिलित होंगे। अग्नि निरोधक उपायों के अन्तर्गत क्षेत्र की घास कटाई, झुके पौधों पर सपोर्टिंग/स्टैकिंग सम्बन्धी कार्यों को अन्य कार्यों से प्राथमिकता दी जायेगी।

4. वनीकरण की सुरक्षा हेतु वह सभी उपाय अपनाये जायेंगे एवं सुरक्षा श्रमिक से वह सभी कार्य कराये जायेंगे जो वनीकरण की सुरक्षा हेतु आवश्यक हैं।
5. चतुर्थ वर्ष से सुरक्षा श्रमिक द्वारा सुरक्षा के साथ-साथ आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई, इत्यादि कार्य भी किये जायेंगे।
6. वन क्षेत्राधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार प्रूनिंग/छंटाई (अधिकतम 30 प्रतिशत) की जायेगी।
7. सीलिंग दरों के निर्धारण का मुख्य आधार अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ०प्र० द्वारा निर्धारित दरें हैं।
8. सीलिंग दरों के निर्धारण में सुरक्षा खाई की फ्रेशनिंग/पत्थर बाड़ी मरम्मत, इत्यादि की सीमा कुल कार्य मात्रा की 5 प्रतिशत ली गयी है। तारबाड़ मरम्मत लमसम रु० 1100.00 प्रति हेक्टेयर पर आंकलित है।
9. वित्तीय नियमों के अन्तर्गत क्षेत्रीय वन संरक्षकों को अपने वृत्त के अन्तर्गत अनुसूचित दरों का निर्धारण कर उपरोक्त दरों का संज्ञान लेते हुए निर्धारित सीलिंग सीमा के अन्तर्गत, जो दर कम हो, उसी के अनुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय करने की कार्यवाही की जाये।
10. प्रथम वर्ष अनुरक्षण में 10 प्रतिशत बीटिंग-अप का कार्य भी सम्मिलित है।
11. उक्त सीलिंग दर तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

उक्त आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

(संजय श्रीवास्तव)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ

पत्रांक 999 /2-37-2(सीलिंग दर), दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, अनुसंधान व प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं कार्ययोजना, उ०प्र० लखनऊ।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र० लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, उ०प्र० लखनऊ।
5. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
6. समस्त जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव, अनुसंधान सहित), उत्तर प्रदेश।
7. समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
9. मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी, उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ।

(संजय श्रीवास्तव)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ

पत्रांक 999 /2-37-2(सीलिंग दर), दिनांकित

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय श्रीवास्तव)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ

संजय श्रीवास्तव (Ch. Manager (RS))
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kancur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

बीहड़ भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपणों में प्रस्तावित कार्यों का विवरण

धनराशि ₹0 में (प्रति हे०)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	आवृत्ति / कार्यमद	श्रमदर 201/- प्रति मानव दिवस
1	2	3	4
	वृक्षारोपण वर्ष		
	अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी के अनुसार अनुमन्य सभी मदें	ASW	37700
		Plt.	20500
	योग-		58200
	प्रथम वर्ष अनुरक्षण		
	अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी के अनुसार अनुमन्य सभी मदें		16100
	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण		
1	पौधों की निराई गुड़ाई	दो बार	516
2	बुआई नाली की निराई गुड़ाई	दो बार	4824
3	सुरक्षा खाई की फ्रेशनिंग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि		618
4	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (8 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	9171
5	अन्य व्यय	₹0 600	600
	योग-		15729
	तृतीय वर्ष अनुरक्षण		
1	पौधों की निराई गुड़ाई	दो बार	516
2	बुआई नाली की निराई गुड़ाई	दो बार	4824
3	सुरक्षा खाई की फ्रेशनिंग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि		618
4	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)		808
5	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (8 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	9171
6	अन्य व्यय	₹0 600	600
	योग-		16537
	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण		
1	सुरक्षा खाई की फ्रेशनिंग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि		618
2	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)		808
3	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	4585
4	अन्य व्यय	₹0 600	600
	योग-		6611
	पंचम वर्ष अनुरक्षण		
1	सुरक्षा खाई की फ्रेशनिंग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि		618
2	वन क्षेत्राधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार प्रूनिंग/छंटाई (वृत्त दरों पर)		1898
3	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)		808
4	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	4585
5	अन्य व्यय	₹0 600	600
	योग-		8509
	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण		
1	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	4585
2	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)		808
3	अन्य व्यय	₹0 600	600
	योग-		5993
	सप्तम वर्ष अनुरक्षण		
1	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	4585
2	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)		808
3	अन्य व्यय	₹0 600	600
	योग-		5993
	अष्टम वर्ष अनुरक्षण		
1	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (वृत्त की दरों पर)		808
2	अन्य व्यय	₹0 600	600
	योग-		1408
	नवम वर्ष अनुरक्षण		
1	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)		808
2	अन्य व्यय	₹0 600	600
	योग-		1408

E:\SOR\SOR 2020-21 (201-21)\Mnt 201\SOR - 201

आशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava

मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited

कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020

Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

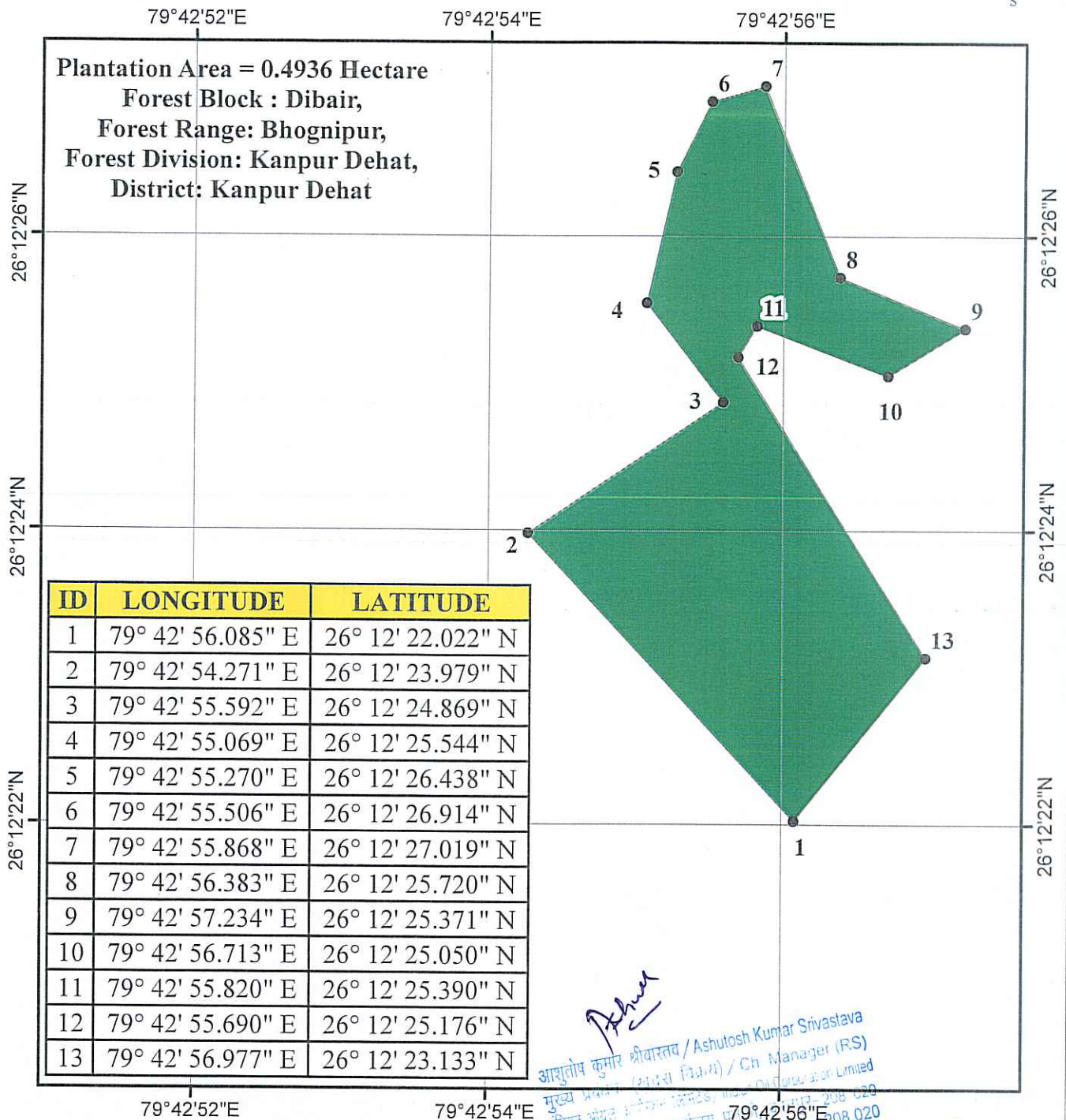
Beehad

प्रभागीय वनाधिकारी

कानपुर-देहात वन प्रभाग

कानपुर-देहात

Geo Referenced Map Of Proposed 0.4936 Hectare Protected Forest Land For Compensatory Afforestation (CA) Plantation On, Dibair Forest Block, Forest Range: Bhognipur, Forest Division- Kanpur Dehat, District- Kanpur Dehat Against Protected Forest Land Proposed For Diversion For Entry/Exit Approach To Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet On Rura Jhinhak Marg (ODR) At KM.1 (445-481 LHS) At Gata No. 179, Village: Gutaiya, Tehsil-Akbarpur ,District: Kanpur Dehat (Uttar Pradesh).



Legend

● GPS Points

■ Proposed CA Land

0 15 30 60
M

Scale - 1:1,200

आशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava
मुख्य प्रबंधक (सहस्र विभाग) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेटा नं. 179, 208-020
कानपुर मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय 79°42'56"E 26°12'22"N
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

प्रति हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

Topo Sheet Map of Proposed 0.4936 Hectare Protected Forest Land For Compensatory Afforestation (CA) Plantation On, Dibair Forest Block, Forest Range: Bhognipur, Forest Division- Kanpur Dehat, District- Kanpur Dehat Against Protected Forest Land
Proposed For Diversion For Entry/Exit Approach To Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet On Rura Jhinhak Marg (ODR) At KM.1 (445-481 LHS) At Gata No. 179, Village: Gutaiya ,Tehsil-Akbarpur ,District: Kanpur Dehat (Uttar Pradesh).



निर्वात के लिए नहीं NOT FOR EXPORT

OPEN SERIES
MAP

No. G44H12

Scale 1:50,000

Auraiya UTTAR PRADESH G44H7 (54N/7)	G44H11 (54N/11)	Kanpur Dehat UTTAR PRADESH G44H15 (54N/15)
G44H8 (54N/8)	G44H12 (54N/12) Jalaun UTTAR PRADESH	G44H16 (54N/16)
G44N5 (54O/5)	G44N9 (54O/9) Hamirpur UTTAR PRADESH	G44N13 (54O/13)

1 Jhansi, UTTAR PRADESH.
2 Kanpur Nagar, UTTAR PRADESH.
3 Etawah, UTTAR PRADESH.

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

SURVEY OF INDIA

1st Edition 2010.

Price : Rs. 70/-

CONVENTIONAL SYMBOLS

Express highway: with toll; with bridge; with distance stone	...
Roads, metalled: according to importance	...
Roads, double carriageway: according to importance	...
Unmetalled road, Can-track, Pack-track with pass, Foot-path	...
Streams: with track in bed; undefined, Canal	...
Dams: masonry or rock-filled, earthenwork, Weir	...
River: dry with water channel; with island & rocks, Tidal river	...
Submerged rocks, Shoal, Swamp, Reeds	...
Wells: lined, unlined, Tube-well, Spring, Tanks: perennial, dry	...
Embankments: road or rail; tank, Broken ground	...
Railways, broad gauge: double; single with station; under constn.	...
Railways, other gauges: double; single with distance stone, ds.	...
Mineral line or tramway, Kln, Cutting with tunnel	...
Contours with sub-features, Rocky slopes, Cliffs	...
Sand features: (1)flat, (2)sand-hills(permanent), (3)dunes(shifting)	...
Towns or Villages: inhabited, deserted, Fort	...
Huts: permanent, temporary, Tower, Antiquities	...
Temple, Chhatra, Church, Mosque, Idgah, Tomb, Graves	...
Lighthouse, Lightship, Buoy: lighted; unlighted; Anchorage	...
Mine: Vene on trails, Grass, Scrub	...
Palms: palmyra; other, Plantain, Conifer, Bamboo, Other trees	...
Areas: cultivated; wooded, Surveyed tree	...
Boundary, international	...
state: demarcated; undemarcated	...
district: subdivided; tahsil or taluk; forest	...
Boundary pillars: surveyed; unlocated	...
Heights, triangulated; station; point; approximate	...
Bench-mark: geodetic; tertiary; canal	...
Post office, Telegraph office, Overhead tank	...
Rest house or inspection bungalow, Circuit house, Police station	...
Camping ground, Forest: reserved; protected	...
Spaced names: administrative; locality or tribal	...
Hospital, Dispensary, Veterinary: Hospital / Dispensary	...
Aerodrome, Helped, Tourist site	...
Power line: with pylons surveyed; with poles unsurveyed	...

Legend

Proposed CA Land

REFERENCE
NH 25 National Highway No. 25

NOTES :-

Heights are in metres and above Indian mean sea level.
Contours are approximate.
A relative height, e.g., 50, represents the approximate height, in metres, between the top and bottom of a slope.
Cart-tracks along canals are generally motorable in dry season whereas other cart-tracks, against which there is no descriptive remark, are generally impassable in dry season. Permission to use these along canals is required from the irrigation authorities.
Tanks, shown dry, in this area usually contain water from July to December.
Wells are numerous throughout the cultivated portions of this sheet; only the important ones have been shown.
The kilometre scale numbers along roads and railways are shown in slant type, e.g., 50 whereas milestone numbers are shown in upright type, e.g., 50.
Parental streams in this sheet are fordable from October to June at places indicated as such.

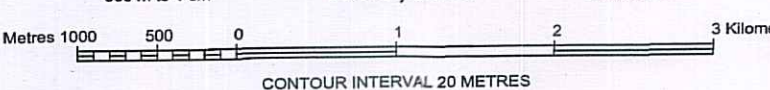
COMPILATION INDEX
A Surveyed during 1973-74. Updated for major details during 2005-06 and administrative boundaries updated during 2007-08.



Projection - UTM Datum - WGS 84

Magnetic Variation from True North about 0° in 2005.
(Increasing by about 1° East annually).

1:50,000



CONTOUR INTERVAL 20 METRES

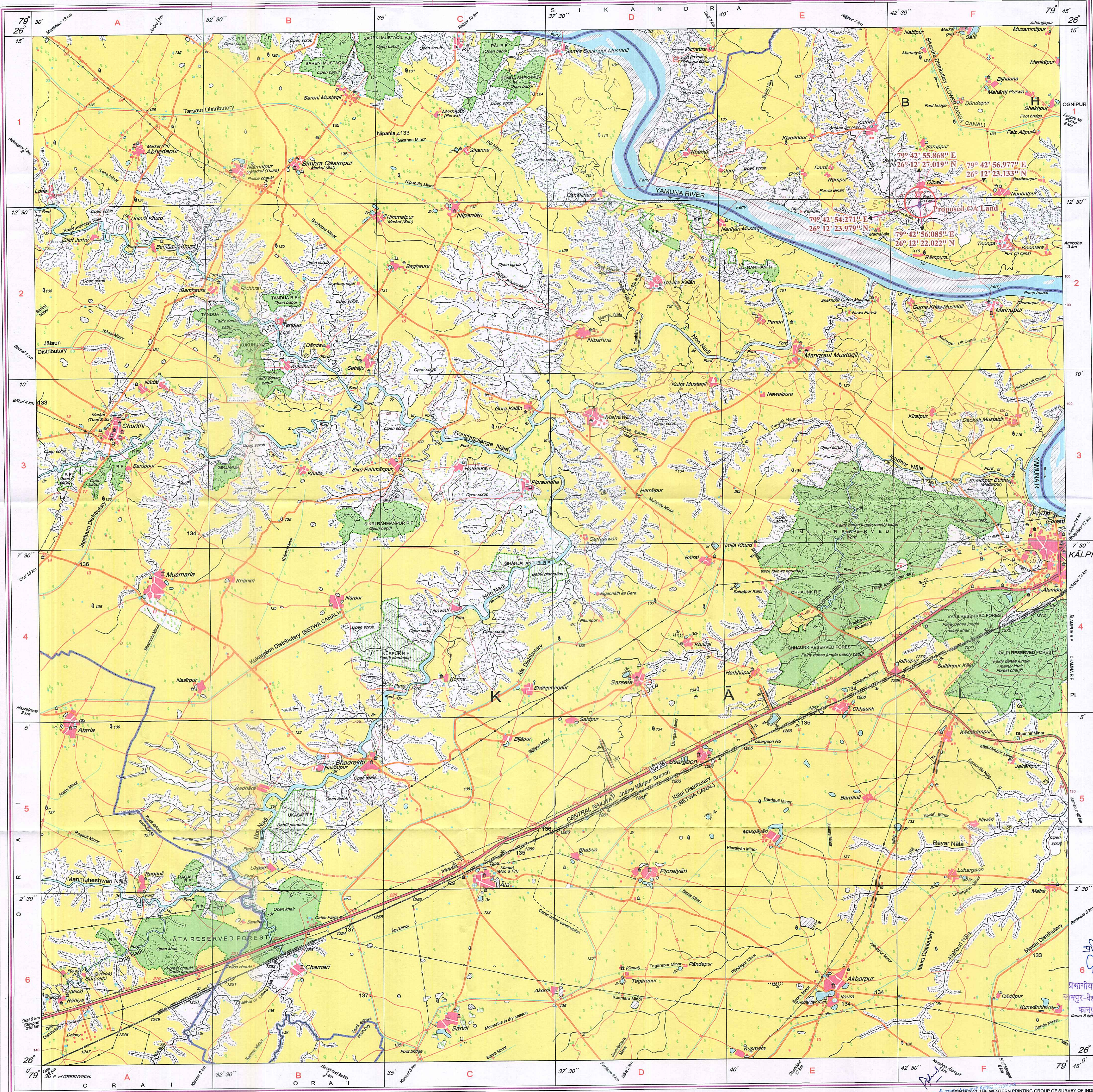
For further details about this map, please contact

Director
East Uttar Pradesh Geo-Spatial Data Centre
Survey of India
B-2 Block, 2nd Floor, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.

WEBSITE - www.surveyofindia.gov.in

Reproduction in whole or part by any means is prohibited
without the written permission of Survey of India, the
National Mapping Agency.

GOVERNMENT OF INDIA COPYRIGHT, 2010.



REG. No. -WPG D10 (East Uttar Pradesh GDC-1:50,000)

भारत के नक्शों के प्रकाशन के दिशेन में प्रकाशित,
Published under the direction of Surveyor General of India,
Survey of India, Hathi Bunka Estate, Post Box No.37, Dehra Dun-248001 (Uttarakhand),
Department of Science & Technology, Government of India.

अनुमति प्राप्त प्रकाशित THE WESTERN PRINTING GROUP OF SURVEY OF INDIA
मुद्रण प्रमाण (सुरक्षा विभाग) / Co. Vikram
अनुमति प्राप्त प्रकाशित THE WESTERN PRINTING GROUP OF SURVEY OF INDIA
मुद्रण प्रमाण (सुरक्षा विभाग) / Co. Vikram
अनुमति प्राप्त प्रकाशित THE WESTERN PRINTING GROUP OF SURVEY OF INDIA
मुद्रण प्रमाण (सुरक्षा विभाग) / Co. Vikram

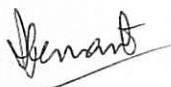
परियोजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों, परिवारों एवं जनसंख्या का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायीं पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण से आसपास के ग्रामों एवं मार्गों से आने जाने वाली जनसंख्या आदि लाभान्वित होगी।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

C.S.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी

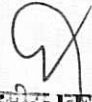


हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (रिटेल) / Chief Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, कानपुर
कानपुर मण्डलीय कार्यालय, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office, Kanpur-208 020


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

LAND SUITABILITY CERTIFICATE BY DFO

This is to certify that the degraded forest land measuring 0.4936 Hectare in forest compartment Dibair in Village Dibair, Forest Block of Bhoganipur Tehsil in Kanpur Dehat District for raising Compensatory Afforestation 494 plants Plantation in lieu of 0.2468 Hectare forest land proposed to be diverted for construction of Approach Access for IOCL Retail Outlet (Petrol Pump) on Jhinhak-Rura Road (ODR) in KM Stone No. 1 (chainage No. 0.445 to 0.481 LHS) at Gata No. 179, Village- Gutaiya, Tahsil- Akbarpur, District- Kanpur Dehat is suitable for plantation & management point of view and is free from all sorts of encroachments & encumbrances.


Divisional Forest Officer
Kanpur Dehat Forest Division
Kanpur Dehat 

प्रस्ताव की संस्तुति हेतु प्रमाण पत्र

इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के निर्माण से कानपुर देहात जनपद की ईंधन आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ होगी जिसके कारण उक्त परियोजना कृषि एवं औद्योगिक विकास में सहायक होने के दृष्टिगत जनहित में लाभकारी है।

अतः प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।


Divisional Forest Officer
प्रभागीय वनाधिकारी
Kanpur Dehat Forest Division
कानपुर-देहात वन प्रभाग
Kanpur Dehat